Knowledge Bank

Know Your India

Compiler
Ms. Malti (Librarian)
KV OEF, Kanpur

विषय सूची

1.	अंतराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023	**1-3**
2.	भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 (Indian State Forest Report)	4-9
3.	जनगणना 2011 एक झलक	10-16
4.	भारत के राष्ट्रीय प्रतीक	17-19
5.	सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न	20-22
6.	मूल अधिकार	23-44
7.	भारत में उच्च न्यायालय	45-49
8.	भारतीय राज्यों के परिवर्तित नाम	50-51
9.	भारतीय राज्यों का सृजन स्वतंत्रता के समय और बाद की स्थिति	52-71

अंतराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023

मोटे अनाज या मिलेट्स में पोषक तत्व किसी अन्य खाद्य अन्न की तुलना में बहुतायत में उपलब्ध है और इन्हीं गुणों को देखते हुए तथा लोगों में इस अन्न के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज या मेलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है | जिसका प्रस्ताव 5 मार्च 2021 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित कर दिया गया था |

भारत सरकार के इस प्रस्ताव को खाद और कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2018 में अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज या पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया तथा भारत सरकार के इस प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ |

पोषक या मोटे अनाजों में सम्मिलित रूप से 16 फसलें शामिल है जिनमें बाजरा,ज्वार,रागी,कुटकी,चीना या चैना, कंगनी,सावा, कोदो और ब्राउनटॉप प्रमुख है |

इन अनाजों के **प्राचीनतम प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता** में पाए जाते हैं और **इसका उल्लेख यजुर्वेद में भी मिलता** है और **दुनिया के लगभग 131 देशों में किसी न किसी रूप इसकी कृषि की जाती है |**

मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और रागी सबसे बड़े पैमाने पर उगायी जाने वाली फसलें है |

उत्पादन की दृष्टि से भारत

बाजरा के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है इसके बाद नाइजीरिया और चीन का स्थान आता है **| मोटे अनाजों के उत्पादन की दृष्टि से भारत की एशिया में 80% और वैश्विक स्तर पर 20% की भागीदारी है |**

भारत के प्रमुख मोटा अनाज अनाज उत्पादक राज्य में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश है | भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले मोटे अनाजों में बाजरा, रागी, ज्वार, कनेरी और कुट्टू प्रमुख है |

भारत द्वारा जिन प्रमुख देशों को मोटे अनाजों का निर्यात किया जाता है | उनमें **संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान, ट्यूनीशिया, यमन, अमेरिका तथा ब्रिटेन प्रमुख है |**

पोषक तत्व

मोटे अनाजों में प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइयासीन, फोलिकएसिड, बीटा, कैरोटिन, जस्ता, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन A, विटामिन B और विटामिन B कॉम्प्लेक्स

सभी मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री होते हैं | अत: सीलिएक रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम खाद पदार्थ है इसका **ग्लाइयिसेमिक इंडेक्स कम होता है अत: मोटापे और मधुमेह** जैसी समस्याओं से निपटने में भी कारगर है | इसमें उपलब्ध पोषक तत्वों तथा फायदों के कारण इसे **सुपर फूड** भी कहा जाता है |

उत्पादन परिस्थितियां

मोटे अनाज के उत्पादन में **अपेक्षाकृत कम पानी की** आवश्यकता होती है | अत: **शुष्क व गर्म जलवायु में तथा खराब मिट्टी में भी** इसका उत्पादन किया जा सकता है | ये फसलें कम समय में तैयार हो जाती है और अन्य फसलों की अपेक्षा उत्पादन लागत भी कम होती है | **कीटनाशकों और रासायनिक खादों का** प्रयोग न के बराबर होता है | अत: इनका उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल है | **इसकी खेती उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और शुष्क क्षेत्रों में की जाती है|**

मिलेट्स के उपभोग और उत्पादन को बढ़ाने हेतु भारत सरकार के प्रयास

- मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र ने **16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्स्पो** तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों की भागीदारी में सहायता देने की योजना बनाई है।

- भारतीय मोटे अनाजों की ब्रांडिंग और प्रचार में विदेश स्थित भारतीय मिशनों का सहयोग लिया जाएगा साथ ही **अंतर्राष्ट्रीय शेफ्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्किट तथा हाइपर** मार्किट जैसे संभावित खरीदारों की पहचान की जाएगी |

- एपीईडीए(The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) ने **गुलफूड 2023, फूडेक्स, सोल फूड एंड होटल शो, सउदी एग्रो फूड, सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) के फाइन फूड शो, बेल्जियम के फूड और बेवरिज शो, जर्मनी के बायोफैक और अनुगा फूड फेयर, सेन फ्रैंसिस्को के विंटर फैंसी फूड शो** जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर मोटे अनाजों और उसके मूल्यवर्धित उत्पादों को दिखाने की योजना बनाई है।

- सरकार रेडी टू ईट (आरटीई) तथा रेडी टू सर्व (आरटीएस) श्रेणी में **नूडल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिक्स, बिस्कुट, कुकीज, स्नैक्स, मिठाई** जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप को भी सक्रिय कर रही है।

- मोटे अनाज की ब्रांडिंग और संवर्धन के लिए **लुलु ग्रुप, कैरेफोर, अल जज़ीरा, अल माया, वॉलमार्ट** जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खुदरा सुपरमार्केट को जोड़ा जाएगा ताकि मिलेट कार्नर स्थापित किए जा सकें।

- सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोटे अनाजों और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर-भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) हैदराबाद, आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद, सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सहयोग से पांच वर्षीय रणनीतिक योजना तैयार करना प्रारंभ कर दिया है।

- एपीईडीए ने एशिया के सबसे बड़े बी2बी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला-आहार खाद्य मेला के दौरान **5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक** की किफायती कीमतों पर सभी आयु समूहों के लिए विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज उत्पादों को लॉन्च किया। साथ ही **एपीईडीए ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए आईआईएमआर के साथ एक समझौता पर भी हस्ताक्षर** किये है।

- 2007 में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिलेट्स मिशन (National Millets Mission-NMM) लॉन्च किया गया |

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) में मोटे अनाजों को शामिल किया गया है ताकि आम आदमी तक इसकी पहुँच बनायी जा सके |

- मूल्य समर्थन योजना (Public Support Scheme-PSS) मोटे अनाजों की खेती के लिए किसानों को वित्तिय सहायता उपलब्ध करवाती है |

संकलनकर्ता :- कु.मालती (पुस्तकालयाध्यक्षा) के.वि.चमेरा नं.1

YouTube Channel: - Malti's Library Club

For more informative articles please click below provided link

https://kvchamerano1library.wordpress.com/gk-zone/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7/

Image Source:-https://www.jagran.com/news/national- indus-valley-civilization-ended-due-to-drought-in-900-years-17834143.html

Information Source:-https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1874987 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021

एक झलक

संकलनकर्ता
कु. मालती
पुस्तकालयाध्यक्ष
के.वि.चमेरा नं.1

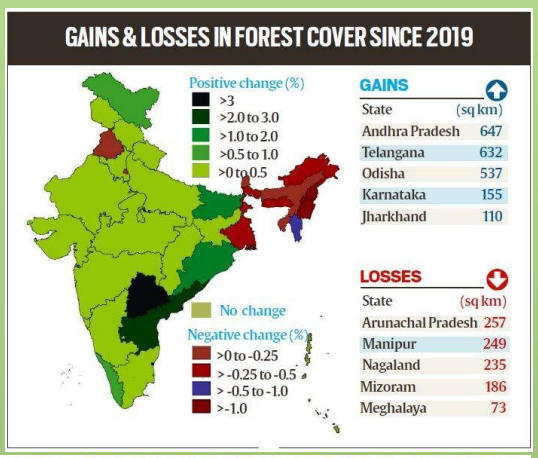

भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021

इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत के वन सर्वेक्षण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्थित संगठन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का द्विवार्षिक प्रकाशन है |

पर्यावरण,वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को ISFR-2021 की रिपोर्ट जारी की | वन सर्वेक्षण का कार्य 1987 में शुरू किया गया था | अब तक 17 सर्वेक्षण किये जा चुके है इसी श्रृंखला मे ISFR 2021 की रिपोर्ट 17 वीं मूल्यांकन रिपोर्ट है |

महत्वपूर्ण बिंदु

- मिड रिजाल्यूशन उपग्रह डाटा का प्रयोग करते हुए देश के वनावरण और वनावरण में बदलावों की निगरानी का द्विवार्षिक मूल्यांकन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा रिसोर्स सेट II के सेंसर LISS- III द्वारा 23.5 मीटर के रिजाल्यूशन और 1:50,000 के मापक की व्याख्या पर आधारित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं |
- पूरे देश के लिए वनावरण मानचित्रण से संबंधित उपग्रह आंकड़े अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त किए जाते हैं |
- वर्तमान ISFR 2021 में भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वनावरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय शामिल किया गया | इसी संदर्भ में टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वनावरण के बदलावों पर दशकीय मूल्यांकन के लिए प्रत्येक टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ISFR 2011 (डेटा अवधि 2008 से 2009) और वर्तमान चक्र ISFR 2021(डेटा अवधि 2019-20)के बीच की अवधि में वनावरण में परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है |
- वर्ष 2011-2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 37.15 वर्ग किमी (0.32%) की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किमी (0.04%) की कमी आई है।
- बक्सा (पश्चिम बंगाल), अनामलाई (तमिलनाडु) और इंद्रावती रिज़र्व (छत्तीसगढ़) के वन क्षेत्र में वृद्धि पायी गई है जबकि कवल (तेलंगाना), भद्रा (कर्नाटक) और सुंदरबन रिज़र्व (पश्चिम बंगाल) में कमी हुई है।
- ISFR 2021 भारत के जंगलों में वनावरण,वृक्षावरण,मैंग्रोव क्षेत्र,जानवरों की संख्या,वनों में कार्बन स्टॉक की मात्रा,जंगलों में लगने वाली आग की निगरानी व्यवस्था,बाघ आरक्षित क्षेत्रों में जंगल की स्थिति SAR डेटा द्वारा जमीन से ऊपर बायोमास का अनुमान तथा परिवर्तन के लिए संवेदनशील स्थानों (हॉटस्पॉट) के संबंध में जानकारी प्रदान करता है |
- FSI (Forest Survey of India) की नई पहल के तहत एक नया अध्याय जिसमें जमीन से ऊपर बायोमास (AGB-Above ground bio-mass) का अध्याय जोड़ा गया है जिसके लिए FSI ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC) इसरो अहमदाबाद से सिंथेटिक एपर्चर रडार डेटा के L-बैंड का प्रयोग किया है | अखिल भारतीय स्तर पर AGB आकलन की पहली रिपोर्ट ISFR 2019 में प्रस्तुत किए गए जो असम और उड़ीसा राज्यों (साथ ही AGB मानचित्रण) से संबंधित थे | संपूर्ण देश के लिए AGB अनुमान के अंतरिम परिणाम ISFR 2021 में एक नए अध्याय के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं |
- ISFR 2021 में पहाड़ी,आदिवासी जिलों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वनावरण पर विशेष जानकारी भी अलग से दी गयी है |
- ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किमी है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है |
- ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वृक्षावरण 95748 वर्ग किमी है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है तथा कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 8,09,537 वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है |
- झाड़ियों का क्षेत्रफल 46,539 वर्ग किमी है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.42 प्रतिशत है |

- शेष गैर वन क्षेत्र 25,27,141 वर्ग किमी का है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 76.87% है |
- ISFR 2021 के अनुसार बांस की संख्या 53,336 मिलियन हो गयी है जो वर्ष 2019 में 13,882 मिलियन थी |

(नोट :- कुल वनावरण में मैंग्रोव क्षेत्र सम्मिलित है और गैर वन क्षेत्र में वृक्षावरण सम्मिलित है झाड़ियां एक अलग समूह है |)

- वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में वर्ष 2019 की तुलना में 2261 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है जिसमें वनावरण में 1540 वर्ग किमी और वृक्षावरणमें 721 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है |
- बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है |
- मध्यम घने जंगलों में 1582 वर्ग किमी की कमी दर्ज की गयी है |
- खुले वन क्षेत्रों में 2621 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है |
- झाड़ी क्षेत्र में 5320 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है |

वनावरण क्षेत्र के अंतर्गत एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले समस्त भौगोलिक क्षेत्र जिनका वृक्ष छतरी घनत्व (Tree Canopy Density)10 प्रतिशत से अधिक हो इसके अंतर्गत आते है | मैंग्रोव वन क्षेत्र भी इसमे शामिल है | 10 प्रतिशत से कम वृक्ष छतरी घनत्व वाली भूमि को वनावरण में शामिल नही किया जाता है बल्कि इसे झाडियों की श्रेणी में रखा जाता है |

ISFR में प्रयुक्त शब्द वनावरण को तीन भागों में बांटा जाता है— (A)अति सघन वन (वृक्ष छतरी घनत्व 70 प्रतिशत से अधिक),(B) मध्यम सघन वन (वृक्ष छतरी घनत्व 40-70 प्रतिशत के बीच),(C) खुले वन (वृक्ष छतरी घनत्व 10-40 प्रतिशत के बीच)

- वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से भरा हुआ है जिनमें से लक्षद्वीप,मिजोरम,अंडमान निकोबार द्वीप समूह,अरुणाचल प्रदेश और मेघालय इन पांच राज्यों का 75% से अधिक क्षेत्र वन क्षेत्र है और मणिपुर,नागालैंड,त्रिपुरा,गोवा,केरल,सिक्किम,उत्तराखंड,छत्तीसगढ़,दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव,असम और ओडिसा सहित इन 12 राज्यों में वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच है |
- वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश (647 वर्ग किमी), तेलंगाना (632 वर्ग किमी), और उड़ीसा (537 वर्ग किमी) में दर्ज की गई है |
- वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड में हुई है।
- जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 79.4 मिलीयन टन की बढ़ोतरी के साथ 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है | कार्बन स्टाक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन है |
- देश का कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 वर्ग किमी है | जिसमें 17 वर्ग किमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है | मैंग्रोव वन में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य उड़ीसा (8 वर्ग किमी), महाराष्ट्र (4 वर्ग किमी) और कर्नाटक (3 वर्ग किमी) है |

(भारत में मैंग्रोव आवरण देश के12 राज्यों/संघीय प्रदेशों- गोवा,गुजरात,आंध्रप्रदेश,महाराष्ट्र,केरल,तमिलनाडु,ओडिसा,पं.बंगाल,पुदुचेरी,कर्नाटक अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में है |)

- क्षेत्रफल के हिसाब से मध्यप्रदेश देश का सबसे बड़ा वनावरण वाला क्षेत्र है |
- वनावरण में सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश (257 वर्ग किमी) में हुई है |

<u>पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति</u> = ISFR 2021के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में वनावरण 2,83,104 वर्ग किमी है जो की इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.17% है जो की ISFR 2019 रिपोर्ट की तुलना में 902 वर्ग किमी अधिक है |

(नोट :- देश के 17 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों में कुल 140 पहाड़ी जिले है |)

<u>उत्तर-पूर्वी राज्यों में वनावरण की स्थिति</u> = देश के पूर्वोत्तर आठ (**असम,मणिपुर,अरूणाचलप्रदेश,मिजोरम,मेघालय,सिक्किम,त्रिपुरा और नागालैंड)** राज्यों में देश के कुल वनावरण का 23.75% भाग स्थित है जबकि इन आठ राज्यों का भौगोलिक क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.98 प्रतिशत ही है | 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों में कुल वनावरण 169,521 वर्ग किमी**(ISFR 2021 की तुलना में 1020 वर्ग किमी कम है)** है जो इन राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 64.66 प्रतिशत है |

S.NO.	राज्य	भौगोलिक क्षेत्र	वनावरण		वृक्षावरण		कुल क्षेत्रफल (वनावरण+वृक्षावरण)	भौगोलिक क्षेत्र का % (वनावरण+वृक्षावरण)	झाडियाँ	देश के कुल क्षेत्रफल से %
			कुल क्षेत्रफल	भौगोलिक क्षेत्र का %	कुल क्षेत्रफल	भौगोलिक क्षेत्र का %				
1	आन्ध्रप्रदेश	162968	29784.3	18.28	4679	2.87	34463.30	21.15	8276.09	1.05
2	अरुणाचल प्रदेश	83743	66430.67	79.33	1001	1.20	67431.67	80.52	796.98	2.05
3	असम	78438	28311.51	36.09	1630	2.08	29941.51	38.17	227.94	0.91
4	बिहार	94163	7380.79	7.84	2341	2.49	9721.79	10.32	235.89	0.30
5	छत्तीसगढ़	135192	55716.6	41.21	5355	3.96	61071.60	45.17	615.26	1.86
6	दिल्ली	1483	195	13.15	147	9.91	342.00	23.06	0.38	0.01
7	गोवा	3702	2244.21	60.62	244	6.59	2488.21	67.21	0	0.08
8	गुजरात	196244	14925.87	7.61	5489	2.80	20414.87	10.40	2828.2	0.62
9	हरियाणा	44212	1603.48	3.63	1425	3.22	3028.48	6.85	158.93	0.09
10	हिमाचलप्रदेश	55673	15442.95	27.74	675	1.21	16117.95	28.95	321.78	0.49
11	झारखण्ड	79710	23721.14	29.76	2867	3.60	26588.14	33.36	584.2	0.81
12	कर्नाटक	191791	38729.99	20.19	7494	3.91	46223.99	24.10	4610.76	1.41
13	केरल	38852	21253.49	54.70	2820	7.26	24073.49	61.96	29.90	0.73
14	मध्य प्रदेश	308252	77492.6	25.14	8054	2.61	85546.60	27.75	5456.55	2.60
15	महाराष्ट्र	307713	50797.76	16.51	12108	3.93	62905.76	20.44	4247.39	1.91
16	मणिपुर	22327	16598.27	74.34	169	0.76	16767.27	75.10	1214.98	0.51
17	मेघालय	22429	17046.07	76.00	698	3.11	17744.07	79.11	662.89	0.54
18	मिजोरम	21081	17820	84.53	444	2.11	18264.00	86.64	0.9	0.56
19	नागालैंड	16579	12251.14	73.90	365	2.20	12616.14	76.10	824.3	0.38
20	ओडिसा	155707	52155.95	33.50	5004	3.21	57159.95	36.71	4923.7	1.74
21	पंजाब	50362	1846.65	3.67	1138	2.26	2984.65	5.93	33.89	0.09
22	राजस्थान	342239	16654.96	4.87	8733	2.55	25387.96	7.42	4808.51	0.77
23	सिक्किम	7096	3341.03	47.08	39	0.55	3380.03	47.63	296.44	0.10
24	तमिलनाडु	130060	26419.23	20.31	4424	3.40	30843.23	23.71	757.84	0.94
25	तेलंगाना	112077	21213.98	18.93	2848	2.54	24061.98	21.47	2911.37	0.73
26	त्रिपुरा	10486	7721.52	73.64	228	2.17	7949.52	75.81	33.22	0.24
27	उत्तर प्रदेश	240928	14817.89	6.15	7421	3.08	22238.89	9.23	563.38	0.68
28	उत्तराखंड	53483	24305.13	45.44	1001	1.87	25306.13	47.32	392.37	0.77
29	पश्चिम बंगाल	88752	16831.87	18.97	2349	2.65	19180.87	21.61	155.72	0.58
30	अंडमान निकोबार	8249	6744.02	81.76	23	0.28	6767.02	82.03	1.13	0.21
31	चंडीगढ़	114	22.88	20.07	15	13.16	37.88	33.23	0.38	0.001
32	दादरानगर हवेली और दमन और दीव	602	227.75	37.83	32	5.32	259.75	43.15	4.85	0.01
33	जम्मू कश्मीर	54624	21386.84	39.15	3511	6.43	24897.84	45.58	284.32	0.76
34	लद्दाख	168055	2272.09	1.35	954	0.57	3226.09	1.92	278.65	0.10
35	लक्षदीप	30	27.10	90.33	0.05	0.17	27.15	90.50	0	0.001
36	पाण्डिचेरी	490	53.30	10.88	23	4.69	76.30	15.57	0	0.002

लद्दाख एवं जम्मूकश्मीर का शेपफाइल एरिया सर्वे ऑफ इंडिया(अगस्त 2021) द्वारा दिए गये है अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र प्रतीक्षारत है |

LOC के बाहर स्थित जम्मूकश्मीर का वः क्षेत्र जो चीन और पाकिस्तान का कब्जे में है शामिल है |

ISFR - 2021 के प्रमुख निष्कर्ष

- क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले पांच राज्य :- मध्य प्रदेश (77492.6 वर्ग किमी), अरुणाचल प्रदेश(66430.67 वर्ग किमी),छत्तीसगढ़(55716.6 वर्ग किमी),ओडिसा (52155.95 वर्ग किमी) और महाराष्ट्र (50797.76 वर्ग किमी) |
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 केंद्र शासित राज्य :- जम्मू और कश्मीर (21386.84 वर्ग किमी),अंडमान निकोबार (6744.02 वर्ग किमी) और लद्दाख (2272.09 वर्ग किमी) |
- क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले पांच राज्य :- हरियाणा (1603.48 वर्ग किमी),पंजाब (1846.65 वर्ग किमी),गोवा (2244.21 वर्ग किमी),सिक्किम (3341.03 वर्ग किमी) और बिहार (7380.79 वर्ग किमी) |
- क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 3 केंद्र शासित राज्य :- चंडीगढ़ (22.88 वर्ग किमी).लक्षद्वीप (27.10 वर्ग किमी) और पुडुचेरी (53.30 वर्ग किमी) |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले पांच राज्य :-मिजोरम (84.53%),अरुणाचल प्रदेश (79.33%),मेघालय (76.0%),मणिपुर (74.34%) और नागालैंड (73.90%) |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश :- लक्षद्वीप (90.33%),अंडमान निकोबार(81.76%) और जम्मू कश्मीर (39.15%) |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले पांच राज्य :- हरियाणा (3.63%),पंजाब (3.67%),राजस्थान (4.87%) उत्तर प्रदेश (6.15%) और गुजरात (7.61%) |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 3 केंद्र शासित राज्य :- लद्दाख (1.35%),पुडुचेरी (10.88%) और दिल्ली (13.15%) |
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले पांच राज्य :- महाराष्ट्र(12108 वर्ग किमी),राजस्थान(8733%),मध्य प्रदेश(8054 वर्ग किमी),कर्नाटक (7494 वर्ग किमी) और उत्तर प्रदेश(7421 वर्ग किमी) |
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 केंद्रशासित प्रदेश:- जम्मूकश्मीर(3511 वर्ग किमी),लद्दाख (954वर्ग किमी) और दिल्ली (147 वर्ग किमी) |
- क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वृक्षावरण वाले पांच राज्य :- सिक्किम(39 वर्ग किमी),मणिपुर(169 वर्ग किमी),त्रिपुरा(228 वर्ग किमी),गोवा(244 वर्ग किमी) और नागालैंड(365 वर्ग किमी) |
- क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वृक्षावरण वाले 3 केंद्र शासित राज्य:- लक्षद्वीप(0.05 वर्ग किमी),चंडीगढ़(15 वर्ग किमी) तथा पुडुचेरी और अंडमान निकोबार (23 वर्ग किमी) |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले पांच राज्य :- केरल(7.26%),गोवा(6.59%),छत्तीसगढ़(3.96%),महाराष्ट्र (3.93%) और कर्नाटक(3.91%) |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 केंद्र शासित राज्य :-चंडीगढ़ (13.16%),दिल्ली (9.91%) और जम्मूकश्मीर (6.43%)|
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वृक्षावरण वाले पांच राज्य :-सिक्किम (0.55%),मणिपुर (0.76%),अरुणाचल प्रदेश (1.20%), हिमाचल प्रदेश(1.21%) और उत्तराखंड (1.87%) |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वृक्षावरण वाले 3 केंद्र शासित राज्य:- लक्षदीप(0.17%),अंडमान निकोबार(0.28%) और लद्दाख (0.57%) |
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण वाले पांच राज्य :- मध्य प्रदेश,अरुणाचल प्रदेश,महाराष्ट्र,छत्तीसगढ़ और ओडिसा |
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वाले 3 केंद्र शासित राज्य :- जम्मू कश्मीर,अंडमान निकोबार और लद्दाख

- क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण एवं वृक्षावरण वाले पांच राज्य :- गोवा, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और त्रिपुरा |
- क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण एवं वृक्षावरण वाले 3 केंद्र शासित राज्य:- लक्ष्यदीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वाले पांच राज्य :- मिजोरम(86.64%),अरुणाचल प्रदेश(80.52%), मेघालय(79.11%),नागालैंड (76.10%) और त्रिपुरा (75.81%) |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण एवं वृक्षावरण वाले 3 केंद्र शासित राज्य:- लक्षदीप(90.50%),अंडमान निकोबार (82.03%) और जम्मू कश्मीर(45.58%) |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण एवं वृक्षावरण वाले पांच राज्य :- पंजाब (5.93%),हरियाणा (6.85%),राजस्थान (7.42%),उत्तर प्रदेश (9.23%) और बिहार (10.32%) |
- क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण एवं वृक्षावरण वाले 3 केंद्र शासित राज्य :- लद्दाख(1.92%), पुडुचेरी (15.57%) और दिल्ली (23.06%)

स्रोत :- ISFR 2021,**Published by** Forest Survey of India (Ministry of Environment Forest and Climate Change) , Chapter-13

2. pib.gov.in/PressReleasePage

3. महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ

जनगणना 2011

एक झलक

संकलनकर्ता
कु. मालती
पुस्तकालयाध्यक्ष
के.वि.चमेरा नं.1

<u>जनगणना</u>

भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में की गई थी आधिकारिक रूप से इस गणना की तिथि 21 फरवरी 1972 घोषित की गई थी |देश में नियमित जनगणना का प्रारंभ 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से प्रारंभ हुआ इसकी अधिकारिक तिथि 17 फरवरी 1881 थी |यह जनगणना तत्कालीन भारतीय जनगणना आयुक्त डबल्यू सी प्लौडेन के द्वारा करवाई गई थी |

दशकीय जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाता है**|(जनगणना विभाग का गठन गृह मंत्रालय के अधीन 1961 में किया गया था |)** जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है|यह विधेयक तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था |

जनगणना अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है तथा संविधान की सातवीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है |

1872 की जनगणना को शामिल करते हुए 2011 तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है| 2021 में होने वाली जनगणना जो की कोरोना काल के कारण स्थगित कर दी गई है भारत की सोलवीं तथा स्वतंत्र भारत की आठवीं जनगणना होगी | **यह भारत कि प्रथम डिजीटल जनगणना होगी तथा यह पहली बार होगा जिसमें ऐसे परिवार और परिवारों में रहने वाले सदस्यों की जानकारी एकत्र की जाएगी, जिसका मुखिया कोई ट्रांसजेंडर हो | पहले केवल पुरुष और महिला के लिये ही कॉलम उपलब्ध था।**

जनगणना 2011 का प्रारंभ 9 फरवरी 2011 से हुई यह जनगणना दो चरणों में तत्कालीन महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉ शिवचंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुई प्रथम चरण में घर एवं आवासी जनगणना का कार्य 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010 के मध्य संपन्न किया गया और दूसरे चरण के अंतर्गत जनसंख्या गणना का कार्य 9 फरवरी 2011से 28 फरवरी 2011 के मध्य संपन्न किया गया जनसंख्या के अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए | मणिपुर के सेनापति जिलो के 3 उपखण्डो के आंकड़ो को शामिल करने के बाद 7 जनवरी 2014 को संशोधित आंकड़े प्रकाशित किए गए

<u>भारत की जनगणना 2011 : एक नजर</u>

कुल क्षेत्रफल -	3287469 km2
ग्रामीण क्षेत्रफल -	3101473.97 km2
शहरी क्षेत्रफल -	102252.03 km2
राज्यों की संख्या -	35 **(28 राज्यों और 7 केंद्रशासित राज्यों सहित)**
जिलों की संख्या -	640 (केंद्रशासित राज्यों सहित) **(वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 775 है |)**
गावों की संख्या (बसे हुए) -	5,97,608
गावों की संख्या (निर्जन) -	43,324
नगरों की संख्या -	7933
घरों की संख्या -	249,501,663
ग्रामीण घरों की संख्या -	168,612,897
नगरीय घरों की संख्या -	80,888,766
कुल जनसंख्या -	1,210,854,977
कुल पुरुष -	623,270,258
कुल महिला -	587,584,719
ग्रामीण जनसंख्या -	833,748,852
नगरीय जनसंख्या -	377,106,125
दशकीय वृद्धि दर (%)-	17.7 %
ग्रामीण जनसंख्या (%)-	68.8%
नगरीय जनसंख्या (%) -	31.2%
कुल साक्षरता -	763,638,812
पुरुष साक्षरता -	434,763,622
महिला साक्षरता -	328,875,190
साक्षरता दर -	73%
पुरुष साक्षरता दर -	80.90%
महिला साक्षरता दर -	64.60%
ग्रामीण साक्षरता दर -	67.8%
नगरीय साक्षरता दर -	84.1%
जनसंख्या घनत्व -	382
लिंगानुपात -	943 : 1000
शिशु लिंगानुपात -	919 : 1000

महत्वपूर्ण तथ्य

- जनगणना 2011 का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर व प्रियकां चौपड़ा को बनाया गया था |
- इसका स्लोगन - हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था |
- इसका शुभंकर एक प्रगणक शिक्षिका थी |
- भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत - 51.45%
- भारत की कुल जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत -48.53%
- भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष तथा उससे ऊपर का प्रतिशत -13.59%
- शेष जनसंख्या का प्रतिशत -86.41%
- जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2001- 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि -17.7%
- नागालैण्ड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है |
- सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य -मेघालय
- सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य- नागालैंड
- सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित राज्य -दादरा एवं नगर हवेली
- न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य केंद्र शासित राज्य - लक्षदीप
- जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनघनत्व -382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर -
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य -राजस्थान
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य -गोवा
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य - लक्षदीप
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य -उत्तर प्रदेश
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य -सिक्किम
- जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य- दिल्ली
- सबसे छोटा राज्य केंद्र शासित राज्य -लक्षदीप
- देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला -ठाणे (महाराष्ट्र)
- देश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला -दिबांगधारी (अरुणाचल प्रदेश)
- देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला -कुरंग कुमे (अरुणाचल प्रदेश)
- देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला – लांगलोंग (नागालैंड)
- जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य -बिहार (1106)
- जनघनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य -अरुणाचल प्रदेश (17)
- जन घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश- दिल्ली (11320)
- जन घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश - अंडमान निकोबार (46)
- साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य -केरल (94%)
- साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य -बिहार (61.8%)
- साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य -लक्षदीप (91.8%)
- साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य -दादरा नगर हवेली (76.2%)
- लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य -केरल (1084)
- लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य -हरियाणा (879)
- लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश- पुडुचेरी (1037)
- लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य - दमन और दीव (618)
- सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य -अरुणाचल प्रदेश (972)
- न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य -हरियाणा (834)
- सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश -अंडमान निकोबार द्वीप समूह (968)
- न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य -दिल्ली (871)
- सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य -उत्तर प्रदेश (41357608)
- न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य -अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड (0)

- सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला राज्य -पंजाब (31.9)
- न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य -अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड (0)
- सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला केंद्र शासित प्रदेश -चंडीगढ़ (18.9%)
- न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला केंद्र शासित राज्य -अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षदीप (0)
- सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य -मध्य प्रदेश
- न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य- हरियाणा और पंजाब
- सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला राज्य- मिजोरम (94.4%)
- न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य - हरियाणा और पंजाब (0%)
- सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला केंद्र शासित राज्य -लक्षदीप (94.8%)
- न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला केंद्र शासित राज्य -पुडुचेरी,दिल्ली और चंडीगढ़ (0%)
- सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य -महाराष्ट्र
- न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य -सिक्किम
- सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य- दिल्ली
- न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य- लक्षदीप
- सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला राज्य -गोवा (62.17%)
- न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाला राज्य -हिमाचल प्रदेश (10.04%)
- सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला केंद्र शासित राज्य-दिल्ली (97.5%)
- न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाला केंद्र शासित राज्य -दादरा नगर हवेली (46.62%)
- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य -उत्तर प्रदेश
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य -सिक्किम
- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य-दिल्ली
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य- लक्षद्वीप
- सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला राज्य -हिमाचल प्रदेश (89.96%)
- न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला राज्य -गोवा (37.83%)
- सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला केंद्र शासित राज्य- अंडमान निकोबार द्वीप (64.33%)
- न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला केंद्र शासित राज्य - चंडीगढ़ (2.75%)
- सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाला राज्य -केरल (1090)
- न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात वाला राज्य -जम्मू कश्मीर (840)
- सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य- पुडुचेरी (1043)
- न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य -दमन दीव (550)
- सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य -केरल (1077)
- न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य -हरियाणा (880)
- सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य - पुडुचेरी (1029)
- न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य- चंडीगढ़ (691)

सर्वाधिक जनसंख्या वाले पांच राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	जनसंख्या
1	उत्तर प्रदेश	199,812,341
2	महाराष्ट्र	112,374,333
3	बिहार	10,40,99,452
4	प. बंगाल	91,276,115
5	आन्ध्र प्रदेश	84,580,777

सर्वाधिक जनसंख्या वाले पांच केन्द्र शासित राज्य

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	जनसंख्या
1	दिल्ली	16,787,941
2	पुदुचेरी	1,247,953
3	चंडीगढ़	1,055,450

न्यूनतम जनसंख्या वाले पांच राज्य

जनगणना

क्र. सं.	राज्य का नाम	जनसंख्या
1	सिक्किम	610,577
2	मिजोरम	1,097,206
3	अरुणाचल प्रदेश	1,383,727
4	गोवा	1,458,545
5	नागालैंड	1,978,502

न्यूनतम जनसंख्या वाले तीन केंद्र शासित राज्य

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	जनसंख्या
1	लक्षद्वीप	64,473
2	दमन और दीव	243,247
3	दादरा और नगर हवेली	343,709

अधिकतम क्षेत्रफल वाले पांच राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल से %
1	राजस्थान	342239.00	10.41
2	मध्य प्रदेश	308252.00	9.38
3	महाराष्ट्र	307713.00	9.36
4	आंध्र प्रदेश	275045.00	8.37
5	उत्तर प्रदेश	240928.00	7.33

अधिकतम क्षेत्रफल वाले तीन केंद्र शासित राज्य

क्र .सं	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल से %
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8249.00	0.25
2	दिल्ली	1483.00	0.05
3	पांडिचेरी	490.00	0.01

न्यूनतम क्षेत्रफल वाले पांच राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल से %
1	गोवा	3702.00	0.11
2	सिक्किम	7096.00	0.22
3	त्रिपुरा	10486.00	0.32
4	नागालैंड	16579.00	0.5
5	मिजोरम	21081.00	0.64

न्यूनतम क्षेत्रफल वाले तीन केंद्र शासित राज्य

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल से %
1	लक्षद्वीप	32.00	0.001
2	दमन और दीव	112.00	0.0034
3	चंडीगढ़	114.00	0.0035

सर्वाधिक जनघनत्व वाले पांच राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	जनघनत्व
1	बिहार	1106
2	पश्चिम बंगाल	1028
3	केरल	860
4	उत्तर प्रदेश	829
5	हरियाणा	573

सर्वाधिक जनघनत्व वाले तीन केंद्र शासित राज्य

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	जनघनत्व
1	दिल्ली	11320
2	चंडीगढ़	9258
3	पुदुचेरी	2547

न्यूनतम जनघनत्व वाले पांच राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	जनघनत्व
1	अरुणाचल प्रदेश	17
2	मिजोरम	52
3	सिक्किम	86
4	नगालैंड	119
5	हिमाचल प्रदेश	123

न्यूनतम जनघनत्व वाले तीन केंद्र शासित राज्य

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	जनघनत्व
1	अं.नि.द्वीप समूह	46
2	दादरा एवं नगर हवेली	700
3	लक्षद्वीप	2149

- 2011 की जनगणना में साक्षरता दर की गणना हेतु 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु की जनसंख्या को लिया गया था |

$$\frac{\text{साक्षरों की संख्या} \times 1000}{\text{सात वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या}}$$

सर्वाधिक साक्षरता वाले पांच राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	साक्षरता %
1	केरल	94.0
2	मिजोरम	91.3
3	गोवा	88.7
4	त्रिपुरा	87.2
5	हिमाचल प्रदेश	82.8

सर्वाधिक साक्षरता वाले तीन केंद्र शासित राज्य

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	साक्षरता %
1	लक्षद्वीप	91.8
2	दमन एवं दीव	87.1
3	अं.नि.द्वीप समूह	86.6

न्यूनतम साक्षरता वाले पांच राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	साक्षरता %
1	बिहार	61.8
2	अरुणाचल प्रदेश	65.4
3	राजस्थान	66.1
4	झारखण्ड	66.4
5	आंध्रप्रदेश	67.0

न्यूनतम साक्षरता वाले तीन केंद्र शासित राज्य

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	साक्षरता %
1	दादरा एवं नगर हवेली	76.2
2	पुदुचेरी	85.8
3	चंडीगढ़	86.0

- सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले पांच राज्य :- केरल(96.1),मिजोरम (93.3),गोवा(92.6),त्रिपुरा(91.5), और हिमाचल प्रदेश(89.5)
- न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले पांच राज्य :-बिहार(71.2), अरूणाचलप्रदेश(72.6),आंध्रप्रदेश(74.9),मेघालय(76) और झारखण्ड(76.8)
- सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले पांच राज्य :- केरल (92.1), मिजोरम (89.3), गोवा (84.7), त्रिपुरा (82.7), और नागालैंड (76.1)
- न्यूनतम महिला साक्षरता वाले पांच राज्य :- बिहार (51.5), राजस्थान (52.1),झारखण्ड (55.4), जम्मूकश्मीर (56.4) और उत्तर प्रदेश (57.2)
- सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला राज्य - महाराष्ट्र
- न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला राज्य - सिक्किम
- सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य -चंडीगढ़
- न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य – लक्षद्वीप
- सर्वाधिक नगरीय साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य -मिजोरम (98.1%)
- न्यूनतम नगरीय साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य -उत्तर प्रदेश (77.01%)
- सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला केंद्र शासित राज्य -लक्षद्वीप (92.38%)
- न्यूनतम नगरी साक्षरता दर वाला केंद्र शासित राज्य -दिल्ली (86.43%)
- सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य -उत्तर प्रदेश
- न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य -सिक्किम
- सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य -दिल्ली
- न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य -लक्षद्वीप
- सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला राज्य -केरल (92.92%)
- न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला राज्य -आंध्र प्रदेश (61.14%)
- सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला केंद्र शासित राज्य -लक्षद्वीप (91.92%)
- न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला राज्य -दादरा नगर हवेली (65.89%)

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले पांच राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	लिंगानुपात
1	केरल	1084
2	तमिलनाडु	996
3	आन्ध्रप्रदेश	993
4	छत्तीसगढ़	991
5	मेघालय	989

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले तीन केंद्रशासित राज्य

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	लिंगानुपात
1	पुदुचेरी	1037
2	लक्षद्वीप	947
3	अं.नि. द्वीप समूह	876

न्यूनतम लिंगानुपात वाले पांच राज्य

क्र. सं.	राज्य का नाम	लिंगानुपात
1	हरियाणा	879
2	जम्मूकश्मीर	889
3	सिक्किम	890
4	पंजाब	895
5	उत्तर प्रदेश	912

न्यूनतम लिंगानुपात वाले तीन केंद्रशासित राज्य

क्र. सं.	केंद्र शासित प्रदेश का नाम	लिंगानुपात
1	दमन-दीव	618
2	दादरा नगर हवेली	774
3	चंडीगढ़	818

शिशु लिंगानुपात

- सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले पांच राज्य :- अरूणाचलप्रदेश (972), मिजोरम (970), मेघालय (970), छत्तीसगढ़ (969) और केरल (964) |
- सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले तीन केंद्रशासित राज्य :- अंडमान एवं निकोबार (968), पुदुचेरी(967), दादरा नगर हवेली (926)|
- न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले पांच राज्य :- हरियाणा (834), पंजाब (846), जम्मूकश्मीर(862), राजस्थान(888) और गुजरात (890) |
- न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले तीन केंद्रशासित राज्य :- दिल्ली (871), चंडीगढ़(880) और दमन एवं दीव (904) |

दशकीय वृद्धि दर

- सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले पांच राज्य :- मेघालय (27.9%), अरूणाचलप्रदेश(26%),बिहार(25.4%),मणिपुर(24.5%)और जम्मूकश्मीर(23.6%) |
- सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले तीन केंद्रशासित राज्य :- दादरा नगर हवेली (55.9%), दमन और दीव (53.8%) और पुदुचेरी (28.1%) |
- न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले पांच राज्य :- नागालैंड (-0.6%), केरल (4.9%), गोवा(8.2%), आंध्रप्रदेश(11.0%) और सिक्किम (12.9%)|
- न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले तीन केंद्रशासित राज्य :- लक्षद्वीप (6.3%), अंडमान एवं निकोबार (6.9%) और चंडीगढ़ (17.2%) |

भारतीय नगरों को जनगणना विभाग के द्वारा जनसंख्या के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है -

- वर्ग I - 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
- वर्ग II - 50000 से 99000 तक जनसंख्या वाले नगर
- वर्ग III - 2000 से 49000 तक जनसंख्या वाले नगर
- वर्ग IV - 10000 से 19999 तक जनसंख्या वाले नगर
- वर्ग V-5000 से 9999 तक जनसंख्या वाले नगर
- वर्ग VI-5000 से कम जनसंख्या वाले नगर

कुल नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक हिस्सा प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करता है |

नगरीय जनसंख्या

- सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले पांच राज्य:- महाराष्ट्र (50,818,259), उत्तरप्रदेश(44,495,063),तमिलनाडु(34,917,440),पश्चिमबंगाल(29,093,002) और आंध्रप्रदेश (28,219,075) |
- सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले तीन केंद्रशासित राज्य :- दिल्ली (16,368,899), चंडीगढ़(1,026,459) और पुदुचेरी (852,753) |
- न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले पांच राज्य :- सिक्किम(153,578), अरूणाचलप्रदेश (317,369), मिजोरम (571,771), नागालैंड(570,966) और मेघालय (595,450)|
- न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले तीन केंद्रशासित राज्य :-लक्षद्वीप (50,332),अंडमान निकोबार द्वीप (143,488) और दादरा नगर हवेली (160,595) |
- सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले पांच राज्य:- गोवा (62.17%), मिजोरम(51.51%), तमिलनाडु(48.45%), केरल(47.72%) और महाराष्ट्र (45.23%) |
- सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले तीन केंद्रशासित राज्य :- दिल्ली(97.5%), चंडीगढ़(97.25%) और लक्षद्वीप (78.08%) |
- न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले पांच राज्य:- हिमाचलप्रदेश (10.04%), बिहार(11.3%), असम(14.08%), ओडिसा(16.68%) और मेघालय (20.06%) |
- न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले तीन केंद्रशासित राज्य :- दादरा नगर हवेली(46.62%), पुदुचेरी(68.31%) और दमन एवं दीव (75.16%)|

ग्रामीण जनसंख्या

- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले पांच राज्य:- उत्तरप्रदेश (155,317,278), बिहार (92,341,436), पश्चिम बंगाल (62,183,113), महाराष्ट्र(61,556,074) |
- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले तीन केंद्रशासित राज्य:- दिल्ली (419,042), पुदुचेरी(395,200) और अंडमान निकोबार द्वीप (237,093)
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले तीन राज्य :- सिक्किम (456,999), मिजोरम(525,435), गोवा(551,731), अरूणाचलप्रदेश(1,066,358) और नागालैंड (1,407,536) |
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले तीन केंद्रशासित राज्य:- लक्षद्वीप (14,141), चंडीगढ़ (28,991), दमन एवं दीव (182,851) |
- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले पांच राज्य :- हिमाचलप्रदेश (89.96%),बिहार(88.70%),असम(85.92%),ओडिशा(83.32%)और मेघालय (79.92%) |
- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले तीन केंद्रशासित राज्य:- अंडमान निकोबार द्वीप (64.33%), दादरा नगर हवेली(53.38%) और पुदुचेरी(31.69%) |
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले पांच राज्य :-गोवा (37.83%), मिजोरम(48.49%), तमिलनाडु(51.55%), केरल(52.28%) और महाराष्ट्र(54.77%) |
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाले तीन केंद्रशासित राज्य:- चंडीगढ़(2.75%), दिल्ली(2.50%) और लक्षद्वीप (21.92%) |

स्रोत -censusindia.gov.in और महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ

भारत के राष्ट्रीय प्रतीक

प्रत्तेक व्यक्ति को स्वतंत्र हवा में साँस लेने, अपना मत प्रकट करने दैहिक और प्राणों की रक्षा करने का अधिकार होता है और भारत के निवासियों को यह अधिकार कठिन संघर्षो और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों के उपरान्त 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ | इस वर्ष भारत ने अपना 76वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया |

राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) :- भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसे 22 जुलाई 1947 में भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकृत किया गया | भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है | भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जिसे हम तिरंगा कहते हैं तीन रंग है केसरिया पट्टी जो देश की ताकत और साहस का प्रतीक है सफेद पट्टी शांति और सत्य का प्रतीक है हरी पट्टी देश के विकास और उर्वरता को दर्शाती है और मध्य में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां है जिसका रंग नीला है भारत के निरंतर प्रगतिशील होने का सूचक है | इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी के बराबर ही होता है | भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन एन पिंगलई के द्वारा बनाया गया था |

राष्ट्रीय आदर्श वाक्य = भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य को सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से लिया गया है

राष्ट्रीय पशु = भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अप्रैल 1973 में मान्यता दी गई 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रेस है |

राष्ट्रीय संवत = भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में शक संवत को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है शक संवत का प्रयोग भारत सरकार और आकाशवाणी के द्वारा जारी संचार व्यक्तियों में गिरी गिरी गोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च 1957 और शक संवत के अनुसार एक चैत्र अट्ठारह सौ 79 को इसे भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था शक संवत के अनुसार मास साल का प्रथम मास चेत्र और साल का अंतिम मासिया महीना फाल्गुन होता है |

राष्ट्रीय गान :- भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है जिसे रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है | भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है | भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था | हमारे राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया | भारत के राष्ट्रीय गान को भारत के सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर गाये जाने का प्रावधान है |

राष्ट्रीय गीत :- भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है इसके दो छंद को 1950 में आधिकारिक रुप से भारत के राष्ट्रगीत के रुप में अंगीकृत किया गया था। वहीं वास्तविक वन्दे मातरम् में छः छंद है। इस गीत को बंकिमचन्द्र चैटर्जी ने 1882 में बंगाली और संस्कृत भाषा में अपने उपन्यास आनन्दमठ् में लिखा था | भारत के राष्ट्रीय गीत को भारतीय संविधान के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया | इसे गाने में लगभग 65 सेकंड का समय लगता है | भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन (कलकत्ता) में गाया गया था | आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से ही की जाती है

राष्ट्रीय चिन्ह :- भारत का राष्ट्र चिन्ह सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित और सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया | अशोक स्तंभ में मूलतः 4 सिंह है सामने से देखने पर केवल तीन सिंह ही दिखाई देते है | सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मूलतः शीर्ष भाग को ही लिया गया है | राष्ट्रीय चिन्ह में शेर के अतिरिक्त सिंह सांड और घोड़े की प्रतिमाएं भी बनी हुई है |

राष्ट्रीय पक्षी :- भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसे 26 जनवरी 1963 को भारतीय संविधान के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया | मोर बेहद सुंदर पक्षी होता है जो प्रायः दक्षिण एशिया में पाया जाता है |मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है| भारतीय वन एवं वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अंतर्गत मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है

राष्ट्रीय संवत :- भारत के राष्ट्रीय संवाद के रूप में शक संवत को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है शक संवत का प्रयोग भारत सरकार और आकाशवाणी के द्वारा जारी संचार व्यक्तियों में गिरी गिरी गोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च 1957 और शक संवत के अनुसार 1 चैत्र 1879 को इसे भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था | शक संवत के अनुसार साल का प्रथम मास चैत्र और साल का अंतिम महीना फाल्गुन होता है |

सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न :- भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी | भारत रत्न पुरस्कार कला, विज्ञान, साहित्य, खेल तथा सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है | डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1954 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया | डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ ही सी.वी. रमन और सी. राजगोपालाचारी को भी इस पुरस्कार से सम्मनित किया गया था| सचिन तेंदुलकर एकमात्र तथा सबसे कम उम्र (40 वर्ष) के खिलाड़ी हैं, जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, तथा डीके कर्वे सबसे अधिक उम्र (100 वर्ष) के व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया|

भारत रत्न तांबे से बना पीपल के पत्ते के आकार का होता है और बीच में प्लैटिनम का चमकता सूर्य बना होता है तथा इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है इसके पीछे की तरफ राज्य का प्रतीक और राज्य का आदर्श वाक्य होता है और यह सफेद फीते के साथ पहना जाता है | प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और प्रत्येक वर्ष अधिकतम तीन व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्तेक वर्ष यह पुरस्कार प्रदान ही किये जाये |

भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है भारत रत्न के अंतर्गत नगद राशि देने का कोई भी प्रावधान नहीं है |1966 से पहले भारत में मरणोपरांत भारत रत्न देने की परंपरा नहीं थी लेकिन 1966 से मरणोपरांत भारत रत्न देने की परंपरा की शुरुआत हुई | मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे | एक मात्र भारत रत्न जो वापस ले लिया गया वह सुभाषचंद्र बोस को प्रदान किया गया था | उन्हें यह सम्मान 1992 में प्रदान किया गया लेकिन कुछ विवादों के कारण उनके नाम के आगे से मरणोपरांत हटा लिया गया | इस प्रकार से अभी तक भारत में कुल 11 व्यक्तियों को ही मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है | वर्ष 2014 तक भारत रत्न को खेल जगत से नहीं जोड़ा गया था, 2014 में ही प्रथम बार खेल जगत के व्यक्तित्व सचिन तेंदुलकर को यह रत्न प्रदान किया गया | सचिन तेंदुलकर के साथ ही वैज्ञानिक सी.एन.आर.राव को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया | भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी | खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें 1987 में भारत रत्न प्रदान किया गया |

नवीनतम सूची की घोषणा 25 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गयी | नवीनतम सूची के अनुसार भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्तियों में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारीका है| उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया | यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये क्रमशः 46, 47 और 48वें नंबर के व्यक्ति है | भूपेन हजारिका और नाना जी देशमुख को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ है |अब तक कुल 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुके है |

राष्ट्रीय आदर्श वाक्य :- भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है 'सत्यमेव जयते' मूलतः मुण्डक-उपनिषद का मंत्र 3.1.6 है। राष्ट्रीय वाक्य के रूप में मंत्र के केवल दो शब्दों को ही लिया गया है | पूर्ण मंत्र इस प्रकार है:

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः।

येनाक्रमंत्यृषयो ह्याप्तकामो यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥

(श्लोक/ मंत्र का अर्थ :- अंततः सत्य की ही जय होती है न कि असत्य की। यही वह मार्ग है जिससे होकर आप्तकाम (जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों) ऋषीगण जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।)

यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। 'सत्यमेव जयते' को राष्ट्रीय पटल पर लाने और उसका प्रचार-प्रसार करने का श्रेय मदन मोहन मालवीय को जाता है |

राष्ट्रीय फूल :- कमल के फूल को भारत में राष्ट्रीय फूल का दर्जा प्राप्त है |इसका वैज्ञानिक नाम नील्यूम्बो न्यूसीफेरा है। यह फूल उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु और सुंदरता को दिखाता है।

राष्ट्रीय वृक्ष- वट(बरगद) वृक्ष :- देश के राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा वट वृक्ष को मिला हुआ है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है | जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं ठीक उसी प्रकार वट के पेड़ की शाखाओं पर एक साथ कई छोटे और बड़े जन्तु निवास करते हैं। इस वृक्ष का धार्मिक महत्व होने के साथ इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं।

राष्ट्रीय नदी गंगा :- गंगा नदी को देश की सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त हैं | गंगा नदी की उत्पत्ति उत्तराखण्ड के हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होती है | जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है | यह नदी करीब 2525 किलोमीटर लम्बी है और बांग्लादेश के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्राचीन समय से ही हिन्दूओं के लिये गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है |

राष्ट्रीय मुद्रा रुपया :- भारत की आधिकारिक करेंसी भारतीय रुपया है। इसके संबंधित सभी मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को देवनागरी लिपि के 'र' और रोमन लिपि के 'R' से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्ह के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई | इस चिन्ह को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुम्बई के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र श्री डी. उदय कुमार ने बनाया है। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजायनों में से चुना गया था |

राष्ट्रीय पशु :- भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अप्रैल 1973 में मान्यता दी गई 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था | बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है | भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत इसे सुरक्षा प्रदान की गयी है।

राष्ट्रीय विरासत पशु :- भारत सरकार ने अक्टूबर 2010 को एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया | राष्ट्रीय वन्यजीव की स्थाई बोर्ड समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की थी |

राष्ट्रीय जलीय जीव :- मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्वार्टिक पशु के रूप में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया | इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में शामिल किया गया है ज्ञातव्य है कि 5 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किए जाने का आग्रह किया गया था जिससे के बाद यह निर्णय लिया गया |

भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी :- भारत ने अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, यह भाषा सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिन्दी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न

भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी |

भारत रत्न पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य, खेल तथा सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन किया हो |

डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1954 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया | डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ ही सी.वी. रमन और सी. राजगोपालाचारी को भी इस पुरस्कार से सम्मनित किया गया था|

प्रधानमंत्री के द्वारा ही भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है |

पहले भारत रत्न की डिजाइन में 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण पदक था और उस पर फूल बना होता था जिसके ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा होता था और नीचे की तरफ पुष्पहार तथा पृष्ठ भाग पर राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य लिखा होता था |

वर्तमान समय में भारत रत्न तांबे से बना पीपल के पत्ते के आकार का होता है और बीच में प्लैटिनम का चमकता सूर्य बना होता है तथा इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है इसके पीछे की तरफ राज्य का प्रतीक और राज्य का आदर्श वाक्य लिखा होता है और यह सफेद फीते के साथ पहना जाता है | प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है |

भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है भारत रत्न के अंतर्गत नगद राशि देने का कोई प्रावधान नहीं है|

प्रत्येक वर्ष अधिकतम तीन व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्तेक वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किये ही जाये |

भारत रत्न प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है |

भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- 1966 से पहले भारत में मरणोपरांत भारत रत्न देने की परंपरा नहीं थी लेकिन 1966 से मरणोपरांत भारत रत्न देने की परंपरा की शुरुआत हुई | मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति **लाल बहादुर शास्त्री जी** थे |
- भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी | उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1971 में मिला था |
- भारत रत्न पुरस्कारों को 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 यानी कि 3 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था |
- यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है **खान अब्दुल गफ्फार खान** पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें 1987 में भारत रत्न प्रदान किया गया | 1990 में **नेल्सन मंडेला** को यह पुरस्कार दिया गया | ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले **प्रथम पूर्णतः विदेशी नागरिक** है | मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से नवाजा गया है |
- एक मात्र भारत रत्न जो वापस ले लिया गया वह **सुभाषचंद्र बोस** को प्रदान किया गया था | उन्हें यह सम्मान 1992 में प्रदान किया गया लेकिन उनकी मृत्यु के संबंध में कुछ विवादों के कारण उनके नाम के आगे से मरणोपरांत हटा लिया गया |
- इस प्रकार से अभी तक भारत में कुल 11 व्यक्तियों को ही मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है |
- डीके कर्वे सबसे अधिक उम्र (100 वर्ष) के व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया| उन्हें यह पुरस्कार 1957 में प्रदान किया गया था |
- सचिन तेंदुलकर एकमात्र सबसे कम उम्र (40 वर्ष) के व्यक्ति हैं, जिन्हें 2014 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था |

- गोविन्द बल्लभ पंत एकमात्र ऐसे भारतीय नेता है जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए वर्ष 1957 में भारत रत्न से नवाजा गया |
- एम.एस. सुब्बालक्ष्मी प्रथम संगीतकार है जिन्हें वर्ष 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया|
- वर्ष 2014 तक भारत रत्न को खेल जगत से नहीं जोड़ा गया था, 2014 में ही प्रथम बार खेल जगत के व्यक्तित्व **सचिन तेंदुलकर** को यह रत्न प्रदान किया गया और खेल जगत से ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे एकमात्र व्यक्ति है | सचिन तेंदुलकर के साथ ही वैज्ञानिक सी.एन.आर.राव को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया |
- नवीनतम सूची की घोषणा 25 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गयी | नवीनतम सूची के अनुसार भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्तियों में **प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारीका** है| उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया | यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये क्रमशः 46, 47 और 48वें नंबर के व्यक्ति है | **भूपेन हजारिका और नाना जी देशमुख को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ है |**
- 2011 से पहले यह पुरस्कार कला, विज्ञान, साहित्य, खेल तथा सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में ही दिए जाते थे लेकिन 2011 के बाद हुए संशोधनों के आधार पर भारत रत्न प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है |
- भारत रत्न पुरस्कारों को **कोलकाता के अलीपुर टकसाल** में बनाया जाता है |
- अब तक कुल **48 व्यक्तियों** को भारत रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है |

भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति को मिलने वाली सुविधाएं

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न का प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन वह अपने लेटर हेड बायोडाटा विजिटिंग कार्ड जैसे प्रपत्रों पर भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता लिख सकते हैं|
- भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति को प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता के बाद जगह मिलती है |
- भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के समान वीआईपी का दर्जा मिलता है |
- संसद की बैठकों और सत्रों में वे भाग ले सकते हैं |
- उन्हें इनकम टैक्स न भरने की छूट होती है |
- उन्हें बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है |
- स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों सहित सभी महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के रुप में भाग ले सकते हैं|
- अगर ये किसी राज्य में घूमने जाएं तो उन्हें वहां राज्य अतिथि का दर्जा मिलता है |
- भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को सरकार वॉरंट ऑफ प्रिसिडेंस में जगह देती है | इसका प्रयोग सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता क्रम निर्धारित करने के लिए किया जाता है|

भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्तियों की सूची

क्रमांक	विजेताओं का नाम	साल
01	सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1954
02	चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	1954
03	सी वी रमन	1954
04	भगवान दासो	1955
05	एम. विश्वेश्वरय्या	1955

06	जवाहर लाल नेहरू	1955
07	गोविंद बल्लभ पंत	1957
08	धोंडो केशव कर्वे	1958
09	बिधान चंद्र रॉय	1961
10	पुरुषोत्तम दास टंडन	1961
11	राजेन्द्र प्रसाद	1962
12	जाकिर हुसैन	1963
13	पांडुरंग वामन काने	1963
14	लाल बहादुर शास्त्री	1966
15	इंदिरा गांधी	1971
16	वी.वी. गिरि	1975
17	के. कामराजी	1976
18	मदर टेरेसा	1980
19	विनोबा भावे	1983
20	अब्दुल गफ्फार खान	1987
21	एमजी रामचंद्रन	1988
22	बीआर अम्बेडकर	1990
23	नेल्सन मंडेला	1990
24	राजीव गांधी	1991
25	वल्लभभाई पटेल	1991
26	मोरारजी देसाई	1991
27	अबुल कलाम आज़ादी	1992
28	जेआरडी टाटा	1992
29	सत्यजीत रे	1992
30	गुलजारीलाल नंद	1997
31	अरुणा आसफ अली	1997
32	ए पी जे अब्दुल कलाम	1997
33	एमएस सुब्बुलक्ष्मी	1998
34	चिदंबरम सुब्रमण्यम	1998
35	जयप्रकाश नारायण	1999
36	अमर्त्य सेन	1999
37	गोपीनाथ बोरदोलोई	1999
38	रवि शंकर	1999
39	लता मंगेशकरी	2001
40	बिस्मिल्लाह खान	2001
41	भीमसेन जोशी	2009
42	सीएनआर राव	2014
43	सचिन तेंडुलकर	2014
44	मदन मोहन मालवीय	2015
45	अटल बिहारी वाजपेयी	2015
46	प्रणब मुखर्जी	2019
47	नानाजी देशमुख	2019
48	भूपेन हजारिका	2019

मूल अधिकार

भारत में मूल अधिकारों की मांग समय-समय पर उठती रही है मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 में की गई थी इसके अलावा 1917-1919 में कांग्रेस द्वारा 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा (कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के द्वारा) 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा 1927 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1930 के कराची अधिवेशन में और गांधी जी के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 के दौरान की गई थी|

संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया जिसमें 54 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे|इसके साथ ही एक उप समिति का भी गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे इन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए |

भारतीय संविधान के भाग-3 में भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद 12-23 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गयी इसे भारत का मैग्नाकार्टा भी कहा जाता है | भारत में संदर्भित मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं |भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान नागरिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक अपना चहुमुखी विकास कर सकें| मूल रूप से संविधान ने 7 अधिकार प्रदान किए थे -

1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
6. संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को केवल 6 मूल अधिकार ही प्राप्त है |

महत्वपूर्ण तथ्य

- संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए मान्य है चाहे वे विदेशी नागरिक हो भारतीय नागरिक |
- मौलिक अधिकार न्याय योग्य है अर्थात अगर किन्ही परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चम न्यायालय की शरण में जा सकता है |
- अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है |

- भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है |
- कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है | अनुच्छेद 358 तथा 359 द्वारा अनुच्छेद 20 और 21के अंतर्गत प्रदत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकारों के निलंबन से जबकि अनुच्छेद 369 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में स्वत: ही निलंबित हो जाते हैं इसके निलंबन के लिए कोई अलग से आदेश पारित नहीं किया जाता | राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर अनुच्छेद 19 पुनः प्रवर्तन में आ जाता है | अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल 6 मूल अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में इसे निलंबित नहीं किया जा सकता |

केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार	**भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार (शत्रु देश के व्यक्तियों को छोड़कर)**
केवल धर्म जाति मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध (अनुच्छेद 15)	विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 14)
लोक नियोजन में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)	दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)
वाक स्वातंत्र्य अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन अबाध विचरण एवं निवास वृत्ति तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता(अनुच्छेद 19)	प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29)	शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 (क))
अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 30)	गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)
	बलात श्रम एवं मानव व्यापार के विरुद्ध निषेध(अनुच्छेद 23)
	खानों एवं कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)
	धर्म और उपासना की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)
	धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)
	धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करो से छूट (अनुच्छेद 27)
	विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने संबंधी स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)= अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा सभी पर एक समान तरीके से लागू होगा |

धर्म मूल वंश लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)= इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के द्वारा धर्म,मूल,वंश,जाति और जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा | राज्य के द्वारा सार्वजनिक भोजनालयओं, होटलों, दुकानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों और राज्य निधि से पोषित तथा जनसाधारण के प्रयोग के लिए समर्पित स्नानघरों, तालाब आदि सभी नागरिकों के स्वतंत्र प्रयोग के लिए है |

लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है राज्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान कर सकती है |

आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे पिछड़ा वर्ग,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लोकसभा एवं विधान मंडल में सीटों का आरक्षण प्रदान करना साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था इसके अंतर्गत आते हैं |

शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसके अपवाद स्वरूप है साथ ही महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था का आयोजन जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत आते हैं |

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)= राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषय पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी राज्य नियोजन के संदर्भ में किसी के साथ जाति, लिंग, जन्मस्थान या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा नियुक्ति का आधार केवल पद के लिए निर्धारित योग्यता ही होगी |

अपवाद राज्य नियुक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिसका राज्य में उचित प्रतिनिधित्व ना हो |

- राज्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान कर सकती है

अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)= सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर (उपाधियों का अंत) अनुच्छेद 18 के तहत निषेध कर दिया गया है| सेना और विद्या से संबंधित सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की सहमति से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा |

स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद (19-22)= अनुच्छेद 19 इसके अंतर्गत कुल छह अधिकार प्रदान किए गए हैं प्रारंभ में इसके अंतर्गत 7 तरह की स्वतंत्रता ओं का उल्लेख किया गया था लेकिन 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 (च) में दिए गए संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है अब यह अनुच्छेद 300(क) के अंतर्गत केवल कानूनी अधिकार है |

वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 1(क) = अनुच्छेद 19 1(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया है -

- प्रेस की स्वतंत्रता
- वाणिज्यिक विज्ञापन की स्वतंत्रता
- विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता
- फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार
- चुप रहने का अधिकार(राष्ट्रगान के मामले में)
- मतदाता को सूचना प्राप्त करने का का अधिकार
- सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार
- प्रदर्शन एवं धरने का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं

19 1(ख)शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता

19 1(ग) संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता

19 1(घ)भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता

19 1(ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता

19 1(छ) कोई वृत्ति आजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता

अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)= इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्तियों को तीन प्रकार के संरक्षण प्रदान किए गए हैं

अनुच्छेद 20 (1) के अंतर्गत व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस समय की कानून व्यवस्था के अनुसार ही उसे दंड दिया जाएगा न की बाद में या पहले बनने वाले कानून के अनुसार |

अनुच्छेद 20 (2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी |

अनुच्छेद 20(3) किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा |

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)= यह स्वतंत्रता भारत में रहने वाले सभी निवासियों अर्थात नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं | व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जा सकता है जब इसके लिए कोई विधिक उपबंध किया गया हो |

मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा विदेश भ्रमण के अधिकार को एक मूल अधिकार घोषित किया गया | समय-समय पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरूप बहुत से अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्गत समाहित होते चले गये जिनमें से कुछ का विवरण निम्नलिखित है -

1. निजता का अधिकार
2. नीति सम्मत जीविकोपार्जन का अधिकार
3. निशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार
4. चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार
5. शिक्षा पाने का अधिकार
6. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
7. निशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार
8. जीवन रक्षा का अधिकार
9. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार
10. रात्रि में शयन का अधिकार
11. पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार
12. अवसर का अधिकार
13. ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार
14. देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार
15. सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज का अधिकार
16. निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
17. सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार
18. शीघ्र सुनवाई का अधिकार
19. सम्मान से मरने का अधिकार
20. पारिवारिक पेंशन का अधिकार
21. नि:शुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार
22. प्रदूषण रहित पीने का जल प्राप्त करने का अधिकार
23. बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार
24. अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार
25. अच्छे पर्यावरण का अधिकार
26. अच्छी सड़कों का अधिकार

प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21(क))= आरंभ में संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया था लेकिन 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के मूल अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया | इसके साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51(क) में भी एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का निर्देश दिया गया | यह अधिकार 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में प्रभावी हुआ |

कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)= अनुच्छेद 22 के द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है | अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं पहला भाग साधारण कानूनी मामलों से संबंधित है और दूसरा निवारक निरोध विधि से संबंधित है|

अनुच्छेद 22 का प्रथम (खंड 1 और खंड 2):- प्रथम भाग के अंतर्गत जिसमें व्यक्ति को साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है

- गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
- अपनी रुचि या पसंद के अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव प्राप्त करने का अधिकार
- गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार

अनुच्छेद 22(3) के अनुसार उपयुक्त अधिकार विदेशी नागरिकों अंतर्देशीय शत्रु और निवारक निरोध विधि के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है |

अनुच्छेद 22 का द्वितीय भाग (खंड 4 से 7):- द्वितीय भाग निवारक निरोध विधि के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है यह अधिकार भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है |

- निवारक निरोध विधि के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे के द्वारा उचित आधार पर ऐसा करने के लिए आदेशित ना किया जाए |
- गिरफ्तारी का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए लेकिन लोकहित के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है |
- व्यक्ति को गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा |

निवारक निरोध विधियां कानून जिन्हें संसद के द्वारा समय-समय पर बनाया गया

- **निवारक निरोध अधिनियम 1950=** 26 फरवरी 1950 को भारतीय संसद के द्वारा इसे पारित किया गया था जो 31 दिसंबर 1969 में समाप्त हो गया |
- **आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मिसा- Maintenance of Internal Security Act)1971=** 7 मई 1971 को यह अधिनियम राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा लागू किया गया जिसे जून 1971 में कानूनी दर्जा प्रदान किया गया 44 वें संविधान संशोधन के कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया |
- **विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम (COFEPOSA) 1974=** 19 दिसंबर 1974 से लागू हुआ पहले हिरासत की अवधि 1 वर्ष थी लेकिन 13 जुलाई 1984 में एक अध्यादेश के द्वारा इसकी अवधि 2 वर्ष कर दी गई है |
- **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) 1980=** इसका लोकप्रिय नाम रासुका है| यह अधिनियम 1980 में एक अध्यादेश के द्वारा लाया गया | जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य सभी राज्यों में यह लागू किया गया था 1981 में इसे कानूनी दर्जा प्रदान किया गया था तथा जून 1984 में इसमें कुछ संशोधन किए गए |
- **चोर बाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु अधिनियम (PBMSECA)1980**

- **आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक अधिनियम (TADA-Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act) 1985=** 23 मई 1995 को यह कानून समाप्त हो गया निवारक निरोध कानूनों में यह सर्वाधिक कठोर कानून था |

- **आतंकवाद निरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act) 2002=** 2 अप्रैल 2002 को अस्तित्व में आया तथा 31 सितंबर 2004 को एक अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया |

- **गैरकानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 1967=** 21 सितंबर 2004 को कुछ संशोधनों के साथ इसे फिर से लागू किया गया| 31 दिसंबर 2008,2012 तथा 2019 में इसमें संशोधन किए गए |

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)= शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार बलात श्रम और अनुच्छेद 24 के द्वारा खानों और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है |

बलात श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)= यह अधिकार नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है इसके अंतर्गत मानव दूव्यापार बेगार और बलात श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा मानव व्यापार के अंतर्गत स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की वस्तु के सामान खरीद फरोख्त ,दास प्रथा , बंधुआ मजदूरी ,देवदासी प्रथा ,महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार,एवं वेश्यावृत्ति सम्मिलित है इस तरह के कार्यों को दंडित करने के लिए संसद के द्वारा समय-समय पर कई नियम और अधिनियम पारित किए गए हैं जैसे

अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956

,बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

ठेका श्रमिक अधिनियम 1970

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986

कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24= यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों, कारखानों तथा अन्य किसी जोखिम पूर्ण कार्यों में नियोजन का निषेध करता है | इसका आशय कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा उनको शोषण से बचाना है इस संदर्भ में देश के द्वारा समय-समय पर कई अधिनियम पारित किए गए हैं-

- **बालक नियोजन अधिनियम 1938**
- **भारतीय कारखाना अधिनियम 1948**
- **बागान श्रम अधिनियम 1951**
- **खान अधिनियम 1952**
- **वाणिज्य परिवहन अधिनियम 1958**

- **मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961**
- **प्रशिक्षु अधिनियम 1961**
- **बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966**
- **शिशु अधिनियम 1966**
- **बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम) 1986=** इस अधिनियम के द्वारा होटलों,घरों,खतरनाक व्यवसायों में सूचीबद्ध 13 व्यवसायों में से किसी भी व्यवसाय में 5 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है| इसके लिए 3 माह से 1 वर्ष तक कारावास की सजा या 10000 से 20000 तक का अर्थदंड या दोनों ही दंड स्वरूप दिए जा सकते हैं

- बच्चों के पुनरुत्थान एवं कल्याण हेतु बाल पुनर्वास कोष एवं बाल आयोग का भी गठन किया गया है

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)= अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त हैं वह चाहे भारतीय हो या विदेशी | इसके अंतर्गत नागरिकों को विचार,अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है | अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार, अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि हेतु करो से छूट का अधिकार, अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है|

अनुच्छेद 25= यह प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है धर्म का आचरण कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है |

अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दो व्याख्या की गई हैं **प्रथम व्याख्या** के अंतर्गत सिखों का कृपाण धारण करना और उसे साथ लेकर चलना धार्मिक आचरण और स्वतंत्रता का अंग माना गया है और **दूसरी व्याख्या** में हिंदुओं में सिख जैन और बौद्धों को भी सम्मिलित किया गया है |

(नोट:- अनुच्छेद 25(1) के अनुसार राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा रोक लगा सकती है **|)**

धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (**अनुच्छेद 26)**= इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति को अपने धर्म के प्रसार लिए संस्थाओं का निर्माण करने, उसका पोषण करने, उसके लिए विधि सम्मत आय अर्जित करने और उसके प्रशासन व स्वामित्व का अधिकार होगा |

धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर्ज से मुक्ति (अनुच्छेद 27)= इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय का उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए किया जाए |

अनुच्छेद 28= इसके अंतर्गत पूर्णत: राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा लेने या उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए किसी भी विद्यार्थी को विवश नहीं किया जा सकता |

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)= अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन के अधिकार से संबंधित है |

अनुच्छेद 29= अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी नागरिक को अपनी बोली, भाषा,संस्कृति, लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है|

राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, भाषा या लिंग के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा अर्थात उनके बीच उपर्युक्त में से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा |

शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार (अनुच्छेद 30)= अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म और भाषा पर आधारित अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है| इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के अधिकार के साथ ही प्रबंध समिति के गठन, शिक्षण का माध्यम निश्चित करने तथा शैक्षणिक व प्रशासनिक नीति के निर्धारण का अधिकार भी प्राप्त है |

अनुच्छेद 30(2) के अनुसार राज्य शिक्षण संस्थान को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा की उसकी स्थापना और प्रबंधन अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा की जाती है|

अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थाओं में अकादमिक सत्र का निर्धारण, शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण, अकादमी अहर्ताओं का निर्धारण आदि में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा |

अनुच्छेद 31= संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित था जिसे 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया अब इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क (भाग 12) में स्थान दिया गया है अब यह एक कानूनी अधिकार मात्र है और अगर इस अधिनियम का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता |

प्रथम संविधान संसोधन 1951 के द्वारा संविधान में 31(क),31(ख) और अनुसूची 9 जोड़े गये इसका उद्देश्य भूमि सुधार नियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था अनुच्छेद 31(क) संपत्तियों के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से, अनुच्छेद 31(ख) कुछ अधिनियम एवं विनियमों के विधिमान्यकरण से संबंधित है और अनुसूची 9 के अंतर्गत इसमें शामिल अधिनियम एवं विनियम को संरक्षण प्रदान किया गया है |

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)= अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है डॉ. भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं ह्रदय की संज्ञा दी गई है | इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति इसके अंतर्गत प्रदान की गई है |

अनुच्छेद 32 के चार खंड है| **खंड 1** मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार देता है **खंड 2** मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है **खंड 3** के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अन्य न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली वाली कुछ शक्तियों या समस्त शक्तियों को अपने स्थानीय अधिकारिता के क्षेत्र में प्रयोग हेतु दे सकती है **खंड 4** मूल अधिकारों को लागू करने के अधिकार के निलंबन का निषेध करती है अर्थात राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसे स्थगित तो कर सकता है लेकिन निलंबित नहीं कर सकता |

अनुच्छेद 32 (2) के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं-

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

परमादेश (Mandamus)

प्रतिषेध (Prohibition)

उत्प्रेषण (Certiorari)

अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

बंदी प्रत्यक्षीकरण= यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए | यह रिट ऐसे व्यक्ति या अधिकारी को जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया हो, इसमें न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश देता है और उसको गिरफ्तार किए जाने के कारणों की जांच करता है गिरफ्तारी का कारण उचित ना होने पर या अवैध होने पर व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी किया जाता है रिट हेतु याचिका गिरफ्तार व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है |

परमादेश= इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं इस रिट का प्रयोग ऐसे पदाधिकारियों को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करने से इनकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है |

यह रिट भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों या संस्थाओं अथवा संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती |

प्रतिषेध= इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना | यहरिट उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालय व अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वह किसी मामले की कार्यवाही अपने यहां ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है |

प्रतिषेध रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं| यह लेख विधायी निकायों, निजी व्यक्ति या प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किए जा सकते |यह लेख उसी स्थिति में जारी किए जाते हैं जब कार्यवाही किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष लंबित हो |

उत्प्रेषण= इसका शाब्दिक अर्थ है सूचना देना या मंगवा लेना यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों न्यायिक,अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को सीधे या पत्र द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को स्थानांतरित करें यह लेख अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या आधिक्य, न्याय के उल्लंघन, निर्णय में वैधानिक भूल आदि के आधार पर जारी की जाती हैं |

प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं प्रतिषेध लेख कार्यवाही को रोकने के लिए जबकि उत्प्रेषण लेख कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए जारी किए जाते हैं |

उत्प्रेषण रिट विधायिका,कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किए जा सकते |

अधिकार पृच्छा= इसका शाब्दिक अर्थ है वारंट द्वारा, इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति कोई लोकपद धारण करता है लेकिन वह उस पद के योग्य या उसका वैधानिक हकदार नहीं है तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछती है कि उसने किस अधिकार के तहत उस पद को धारण किया है अगर उसका उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो उसे तत्काल उस पद को त्याग करने के लिए कहा जाता है |

अधिकार प्रचार रिट जारी करने के लिए पद की प्रकृति सार्वजनिक या लोक पद की होनी चाहिए किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ यह रिट जारी नहीं की जा सकती |

अनुच्छेद 33=यह अनुच्छेद संसद को कुछ विशिष्ट वर्गों जैसे सैन्य बल, पुलिस बल, आसूचना अभिकरण जैसे संगठनों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित करने संबंधी विधि बनाने का अधिकार प्रदान करती है |

अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है राज्य विधान मंडलों को नहीं |

अनुच्छेद 34= यह अनुच्छेद भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने और उस पर संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति से संबंधित है | इसके अनुसार जब देश के किसी भाग में सेना विधि घोषित हो और किसी सरकारी कर्मचारी या निजी व्यक्ति द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था की गई है जो न्याय संगत नहीं है तो संसद विधि द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति हेतु अधिनियम निर्मित कर सकेगी और इस दौरान सेना विधि के अधीन पारित कार्यों को संसद विधिमान्य घोषित कर सकती है |

अनुच्छेद 35= यह अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि भाग 3 के अंतर्गत उल्लिखित अनुच्छेद 16(3), 32(3),33 और 34 में विहित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होगी राज्य विधान मंडलों को नहीं |

संबंधित विषय कि प्रश्नोत्तरी Download करने के लिए नीचे दिए गये Link पर Click करें |

मौलिक अधिकार (PDF)_

मौलिक अधिकार (प्रश्नोत्तरी)

1. प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है |

   अनुच्छेद 19 (1)(क) के अंतर्गत

2. तिरंगा ध्वज लहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार है

   अनुच्छेद 19 (1)(क) के अंतर्गत

3. किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म,विभूषण पद्म,भूषण,पद्मश्री,परम वीर चक्र,महावीर चक्र,वीर चक्र आदि पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं|

   अनुच्छेद 18

4. अनुच्छेद 19 के तहत कितनी तरह की स्वतंत्रता ओं का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है

   6 स्वतंत्रता ओं का

5. संपत्ति के अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया था जिसे हटा दिया गया है

   अनुच्छेद 19 (च)

6. संपत्ति के अधिकार को कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया |

   44 वा संविधान संशोधन 1978 के द्वारा

7. संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों(अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) को कब निलंबित किया जा सकता है |

   राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत

8. कौन-कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं |

   अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार

9. कौन-कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ- साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं |

   अनुच्छेद 14, 20, 21, 21(क), 22, 23, 24,25,26,27 और 28 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार

10. संविधान के अनुसार मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है

    सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)

11. 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना कौन से संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार है

    अनुच्छेद 21 (क) के अंतर्गत

12. अनुच्छेद 21(क) संविधान में कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत अंतः स्थापित किया गया |

    86 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा

13. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की

    10 दिसंबर 1948

14. कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत यह घोषणा की गयी की आपात काल के समय भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है |

    44 वें संविधान संशोधन के द्वारा

15. कौन कौन से अनुच्छेद सकारात्मक प्रकृति के हैं ?

    अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 25(1) अनुच्छेद 21(क) 29, 30 और 32

16. कौनमूल कौन से- अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं

    अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 (1), 16 (2),18 (1), 20, 21, 22 (1),27 और 28(1)

17. समता के अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया |

    अनुच्छेद 14 से 18

18. पिछड़े वर्गों के संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है

    अनुच्छेद 16 खंड 4

19. शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों और स्त्रियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अत:स्थापित की गई है

    अनुच्छेद 16 (1) और 15 (3) में

20. सामान्य नियमानुसार आरक्षण कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए |

    50% से अधिक

21. कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को अत: स्थापित किया गया |

    77 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा

    (नोट :-अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4 क) अंत:स्थापित किया गया जो 17.6.1995 से लागू हुआ)

22. अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री जैसे अलंकरण को किस प्रधानमंत्री के काल में समाप्त कार दिया गया था |

    मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में (1977-1989 के मध्य)

23. जुलूस निकालने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है |

    अनुच्छेद 19 (1) (ख)

24. नागरिकों को संगम, संघ या सहकारी सोसायटी बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है |

अनुच्छेद 19(1) (ग)

25. संचरण का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है

    अनुच्छेद 19 (1) (घ) और अनुच्छेद 21

26. भारत के किसी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अंतः स्थापित है

    अनुच्छेद 19 (1) (ङ)

27. अनुच्छेद 19 (1)(च) संबंधित है |

    संपत्ति के अधिकार से

    (नोट:- इस अधिकार का 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा लोप कर दिया गया है अब इसे अनुच्छेद 300 क में अंत: स्थापित किया गया है |)

28. किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है
    अनुच्छेद 20 (2)

29. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है |

    अनुच्छेद 21

30. विदेश यात्रा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है

    अनुच्छेद 21

31. नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है|

    अनुच्छेद 21

32. शिक्षा का अधिकार(व्यवसायिक और विशेष शिक्षा के अतिरिक्त) कौन से अनुच्छेद में अंतर्निहित है)

    अनुच्छेद 21 (क)

33. एकांतता या प्राइवेसी का अधिकार कौन से अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है |

    अनुच्छेद 21

34. सरकारी अस्पताल द्वारा किसी घायल व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता न देना कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन है |

    अनुच्छेद 21

35. पीने के पानी को गंदा करके उसे पीने के अयोग्य बनाना और ध्वनि प्रदूषण करना कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन है

    अनुच्छेद 21

36. कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 51 (क) अंतर स्थापित कर 11 वां कर्तव्य जोड़ा गया कि "प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएगा" |

86 वा संविधान संशोधन 2002

37. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कौन से अनुच्छेद में वर्णित है |

अनुच्छेद 22

38. गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आरोपित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा यह अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है |

अनुच्छेद 22

39. गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार अंतर्निहित है |

अनुच्छेद 22 में

40. मतदाता को सूचना का अधिकार कौन से अनुच्छेद में निहित है

अनुच्छेद 19 (1)(क)

41. अहिंसात्मक और निशस्त्र प्रदर्शन या धरना का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है |

अनुच्छेद 19 (1) (क)

42. किस वाद में विदेश यात्रा के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया |

मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 (अनुच्छेद 21 के अंतर्गत)

43. राष्ट्रगान के मामले में चुप रहने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है

अनुच्छेद 19 (1) (क) (इमैनुएल बनाम केरल राज्य 1986)

44. अनुच्छेद 22 के भाग 2 के अंतर्गत साधारण कानूनी मामले के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना अनिवार्य है |(यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर)

24 घंटे

45. अनुच्छेद 22 के भाग 2 के अंतर्गत निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकतम कितनी माह तक हिरासत में लिया जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताएं |

3 माह

46. कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है |

अनुच्छेद 32

47. कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है |

अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है

48. राज्य से सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अपने विशिष्ट समुदाय के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण कर सकते हैं |

50% सीटों का

49. अनुच्छेद 32 में कुल कितने खंड हैं |

कुल 4 खंड हैं

50. 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है |

अनुच्छेद 21 (क) के अंतर्गत

51. भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक के द्वारा की गई |

संविधान विधेयक 1895 के द्वारा

52. कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से कब मूल अधिकारों की माँग की गयी थी |

1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा

53. 1928 ईस्वी में किसने मूल अधिकारों की मांग की थी |

मोतीलाल नेहरू

54. मूल अधिकारों पर आधारित नेहरू रिपोर्ट को कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था

1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा

55. मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु संविधान सभा के द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था

सरदार वल्लभभाई पटेल

56. मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति में कुल कितने सदस्य थे |

54 सदस्य

57. मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों पर परामर्श देने हेतु निर्मित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे |

जे बी कृपलानी

58. कौन-कौन से मूल- अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है |

अनुच्छेद 15,16,19,29 और 30 के अंतर्गत प्रदत मूल अधिकार

59. कौनकौन से मूल- अधिकार भारतीय नागरिकों सहित विदेशियों को भी प्राप्त है

अनुच्छेद 14,20,21, 21(क), 22,23,24,25,26,27 और 28 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार

60. संविधान के द्वारा कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं |

अनुच्छेद 12 से 35

61. प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है |

अनुच्छेद 19 (1)(क) के अंतर्गत

62. कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता |

अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को

63. संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया |

44 वा संविधान संशोधन

64. कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सैन्य बलों में मौलिक अधिकार के प्रयोग को सीमित कर सकती है |

अनुच्छेद 33

65. यदि कोई विधि या कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है तो उसे कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अमान्य घोषित किया गया है |

अनुच्छेद 13

66. मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है |

अनुच्छेद 32

67. अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है |

अनुच्छेद 17

68. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी खानों या कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है |

अनुच्छेद 24

69. डॉ. बी आर अंबेडकर के द्वारा कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी गई है |

अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार

70. संविधान में समानता का अधिकार अंतर्निहित है |

अनुच्छेद 14-18 में

71. संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अंतर्निहित है |

अनुच्छेद 19-22 में

72. संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं |

अनुच्छेद 23 और 24 में

73. संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है |

अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत

74. संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं|

अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत

75. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतर्निहित है |

अनुच्छेद 32 में

76. विदेश जाने का अधिकार कौन से वाद से संबंधित है |

मेनका गांधी बनाम भारत संघ

77. 42वां संविधान संशोधन 1976 किसकी सिफारिश पर किया गया था

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर

78. कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा कर एक विधिक अधिकार बना दिया गया |

44 वा संविधान संशोधन 1978

79. बच्चों के शोषण के प्रतिरोध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है |

अनुच्छेद 24

80. अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था |

1955 में

81. 1977 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया|

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955

82. भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 19 (1)(घ) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर कौन सा अधिकार प्राप्त होता है |

विदेश यात्रा का अधिकार

83. समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है |

आर्थिक समानता का अधिकार

84. राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को किस अनुच्छेद के द्वारा स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 358 के द्वारा

85. राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है |

अनुच्छेद 359 के अंतर्गत

86. मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे बनाया गया है |

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को

87. नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ |

1 अप्रैल 2010 से

88. सिखों का कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना कौन से मूल अधिकार से संबंधित है |

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से

89. सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है |

अनुच्छेद 32

90. मौलिक अधिकारों की रक्षा करने संबंधी उच्च न्यायालय के अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं |

अनुच्छेद 226

91. निवारक निरोध विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है

3 माह तक

92. कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता |

अनुच्छेद 20 (3) के अंतर्गत

93. उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्धारित किया कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है

साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ वाद में

94. लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर किस अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है |

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को

95. मूल अधिकार कौन से देश से प्रेरित है |

अमेरिकी संविधान से

96. बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति एवं देवदासी प्रथा को किस अनुच्छेद के तहत अनुचित ठहराया गया है |

अनुच्छेद 23

97. मानव दुर्व्यापार का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है |

अनुच्छेद 23

98. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है |

अनुच्छेद 29

99. कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया है|

अनुच्छेद 30

100.कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सा लेख जारी किया जाता है

प्रतिषेध लेख

101.कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए कौनसा लेख जारी किया जाता हैं |

उत्प्रेषण रिट

102.बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के द्वारा कितनी अवधि तक कारावास की सजा का प्रावधान है|

3 माह से 1 वर्ष तक का

103.बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के द्वारा कितने अर्थदंड का प्रावधान है |

10000 से 20000 तक

104.न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है|

अमेरिकी संविधान से

105. किस आधार पर आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वत: स्थगित हो जाते हैं|

युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के समय

106. संपत्ति का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबन्धित है |

अनुच्छेद 19 (1)(च) और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत |

107. किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है |

अनुच्छेद 18

108. अनुच्छेद 14 में उल्लिखित **'विधियों का समान संरक्षण'** कहां से लिया गया है |

अमेरिकी संविधान से

109. वाक्यांश विधि के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है |

ब्रिटिश संविधान से

110. कौन से वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति नहीं है |

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद ,1967

111. किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती |

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद

112. नागरिकों के जाति धर्म वंश और भाषा के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति या नियोजन के सन्दर्भ में भेदभाव नहीं किया जाएगा |

अनुच्छेद 16 (2)

113. सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा के हो अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है |

अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत

114.कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है |

अनुच्छेद 29 एवं 30 में

115.राष्ट्रगान न गाने से संबंधित वाद कौन सा है |

विजय इमुनुएल बनाम केरल राज्य वाद, 1986

116.विदेश यात्रा का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है |

अनुच्छेद 21

117. किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता संबंधित है |

अनुच्छेद 20 (3) से

118.अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उल्लिखित स्वतंत्रतायें प्राप्त हैं |

केवल भारत के नागरिकों को

119.दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है

अनुच्छेद 20 (2) में

120.अवैध गिरफ्तारी के लिए जारी की जाने वाली रिट है |

बंदी प्रत्यक्षीकरण

121.किस वाद में न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ बैठी थी |

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (13 न्यायाधीशों की पीठ,7:6 के अनुपात से निर्णय दिया गया)

122.सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की राज्य की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है|

अनुच्छेद 15 (3) के अंतर्गत

123.निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया |

93 वे संविधान संशोधन के द्वारा

124.राज्य निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों का आरक्षण कर सकती है उल्लिखित है |

अनुच्छेद 15 पांच के अंतर्गत

125.बौद्ध जैन तथा सिख धर्म को हिंदू शब्द के अंतर्गत मानने वाला कौन सा अनुच्छेद है |

अनुच्छेद 25 (2)(ग)

126.आम जनता के लाभ या अधिकारों के संरक्षण के लिए दायर की जाने वाली याचिका है

जनहित याचिका

127.जनहित याचिका दायर की जा सकती है |

केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में

128.जनहित याचिका की अवधारणा ली गई है |

अमेरिकी न्याय शास्त्र से

129.भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी|

पीएन भगवती के द्वारा

130.किस याचिका के द्वारा कार्यपालिका को यह आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करें जिसके लिए वह आबद्ध है |

परमादेश

131.अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने या स्थगित करने हेतु कौनसी रिट जारी की जाती है |

प्रतिषेध

132. किसी लोकपद को अवैध रूप से धारण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है |

अधिकार पृच्छा

133.कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है |

उत्प्रेषण रिट

134.धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है |

भारतीय संविधान

135.कौन सी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में लागू की जाती है |

प्रतिषेध रिट

136. मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है |

संसद के द्वारा

137. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौनसी रिट जारी की जाती है |

बंदी प्रत्यक्षीकरण

भारत में उच्च न्यायालय

क्र.सं.	नाम	स्थापना वर्ष	आधिकारिक न्याय क्षेत्र	मुख्यालय/सीट	खण्डपीठ
1.	कलकत्ता	1july 1862	पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह	कलकत्ता	पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी

नोट :- कोलकाता हाईकोर्ट भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है | इसकी स्थापना भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत हुई थी | इस इमारत की डिजाइन बेल्जियम में Ypress में Stadt-Haus या Cloth Hall के मॉडल पर आधारित सरकारी वास्तुकार मिस्टर वाल्टर ग्रेनविले द्वारा बनाई गई थी | इस उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 72 है |

2.	बंबई	18 Aug. 1862	महाराष्ट्र, गोवा और दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव	बंबई	नागपुर,औरंगाबाद, पणजी
3.	मद्रास		तमिलनाडु और पुडुचेरी	चेन्नई	मदुरै
4.	इलाहबाद	11 June 1866	उत्तर प्रदेश	इलाहबाद	लखनऊ

नोट:- इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश Sir Walter Morgan थे और Mr. Simpson इस हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस एंड रजिस्ट्रार थे | वर्तमान में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है | उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का नाम 11 मार्च 1919 में जारी एक पूरक लेटर्स पेटेंट द्वारा इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया |

5.	कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बंगलुरु	धारवाड़, कालबुर्गी

नोट:- इसे प्रारंभ में इसे मैसूर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था लेकिन 1973 में इस हाईकोर्ट का नाम बदलकर कर्नाटक हाईकोर्ट कर दिया गया |

6.	पटना	1 March 1916	बिहार	पटना	कोई नहीं
7.	जम्मूकश्मीर	26 March 1928	जम्मूकश्मीर और लद्दाख	श्रीनगर और जम्मू	कोई नहीं

नोट:- लाला कंवर सेन अदालत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में और राय बहादुर लाला बोध राज साहनी और खान साहब आगा सय्यद हुसैन न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए | मई से अक्टूबर के अंत तक उच्च न्यायालय श्रीनगर में स्थानांतरित हो जाता है और नवंबर से अप्रैल के अंत तक हाईकोर्ट का मुख्यालय जम्मू में होता है | न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 17 (13 स्थायी और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश) है |

8.	मध्य प्रदेश	2 Jan 1936	मध्य प्रदेश	जबलपुर	इंदौर, ग्वालियर
9.	पंजाब और हरियाणा	15 Aug. 1947	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़	चंडीगढ़	कोई नहीं

नोट:- इसका डिजाइन Le Corbusier के द्वारा बनाया गया था | स्वतंत्रता से पहले यह कोट लाहौर में स्थित था और स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब दो भागों पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब में बट गया था और लाहौर हाई कोर्ट पश्चिमी पंजाब का हिस्सा था जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता था | 15 अगस्त 1947 को नए पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना शिमला में की गई खराब मौसम के कारण कोर्ट को चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया और इसने अपना कार्य अपनी वर्तमान इमारत में 17 जनवरी 1955 से प्रारंभ कर दिया जिसकी आधिकारिक घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरु के द्वारा 19 मार्च 1955 को की गई | 1966 में पंजाब हाईकोर्ट का नाम बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया |

10.	**गुवहाटी**	**5 April 1948**	**असम,नागालैंड, अरूणाचलप्रदेश, मिजोरम**	**गुवहाटी**	**कोहिमा, ईटानगर,आइजोल**

नोट :- भारत के गवर्नर जनरल ने 1 मार्च 1948 को असम हाईकोर्ट के स्थापना की घोषणा की जो 5 अप्रैल 1948 से प्रभाव में आई | यह पहले शिलांग में स्थित था लेकिन 14 अगस्त 1948 को यह गुवाहाटी में शिफ्ट हो गया | इसे असम उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था लेकिन 1971 में इसका नाम बदलकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय हो गया |

11.	**उड़ीसा**	**26 July 1948**	**ओडिसा**	**कटक**	कोई नहीं

नोट :- उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के अंतर्गत उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कार दिया गया किन्तु उच्च न्यायालय के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया |

12.	**राजस्थान**	**29 Aug. 1949**	**राजस्थान**	**जोधपुर**	**जयपुर**
13.	**तेलंगाना**	**1954**	**तेलंगाना**	**हैदराबाद**	कोई नहीं

नोट :- 2014 में आंध्रप्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना नाम से एक नये राज्य का गठन हुआ और हैदराबाद हाईकोर्ट दोनों राज्यों के लिए कॉमन हाईकोर्ट था भारत सरकार के दिनांक 26/12/2018 के आदेशानुसार दोनों राज्यों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना की गयी जो 01/01/2019 से प्रभावी हुई |तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद को ही तथा आंध्रप्रदेश के लिए अमरावती में उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी |

14.	**केरल**	**01 Nov. 1956**	**केरल और लक्षद्वीप**	**एर्नाकुलम**	कोई नहीं
15.	**गुजरात**	**01 May 1960**	**गुजरात**	**अहमदाबाद**	कोई नहीं
16.	**दिल्ली**	**31 Oct. 1966**	**दिल्ली**	**नई दिल्ली**	कोई नहीं
17.	**हिमाचल प्रदेश**	**25 Jan 1971**	**हिमाचल प्रदेश**	**शिमला**	कोई नहीं

नोट :- हिमाचल प्रदेश की पुरानी इमारत का नाम Ravens Wood था |

18.	**सिक्किम**	**16 May 1975**	**सिक्किम**	**गंगटोक**	कोई नहीं
19.	**छत्तीसगढ़**	**01 Nov. 2000**	**छत्तीसगढ़**	**बिलासपुर**	कोई नहीं

नोट :- यह भारत का 19 वां उच्च न्यायालय है | 1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत स्थापना की गयी |

20.	**उत्तराखण्ड**	**09 Nov. 2000**	**उत्तराखण्ड**	**नैनीताल**	कोई नहीं
21.	**झारखण्ड**	**15 Nov. 2000**	**झारखण्ड**	**राँची**	कोई नहीं
22.	**मेघालय**	**23 March 2013**	**मेघालय**	**शिलॉग**	कोई नहीं
23.	**मणिपुर**	**25 March 2013**	**मणिपुर**	**इम्फाल**	कोई नहीं
24.	**त्रिपुरा**	**26 March 2013**	**त्रिपुरा**	**अगरतला**	कोई नहीं
25.	**आन्धप्रदेश**	**01 Jan. 2019**	**आन्धप्रदेश**	**अमरावती**	कोई नहीं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की से की जाती है |उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश,उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है |

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यतायें तथा अन्य अहर्ताएं

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. कम से कम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो अथवा किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो |
3. 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो। अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृति की आयु 62 वर्ष होती है | उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष होती है |
4. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है |
5. अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है |
6. राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है |
7. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं।
8. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते है |
9. कदाचार असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है|

संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार आदि के बारे में प्रावधान किया गया है -

अनुच्छेद 214 = संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है |

अनुच्छेद 215 = अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है |

अनुच्छेद 216 = अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है |

अनुच्छेद 217 = अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दशाएं एवं उनके पद संबंधी प्रावधानों का वर्णन है |

अनुच्छेद 217 (1) = राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा |

अनुच्छेद 218 = अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने संबंधी उपबंधों का प्रावधान किया गया है |

अनुच्छेद 219 = अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है |

अनुच्छेद 220 = अनुच्छेद 220 में स्थाई न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया गया है |

अनुच्छेद 221 = अनुच्छेद 221 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते इत्यादि के संबंध में प्रावधान है |

अनुच्छेद 222 = अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के उपरांत किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है संबंधी प्रावधानों का विवरण है |

अनुच्छेद 223 = अनुच्छेद 223 कार्यकारी या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान से सम्बंदित है |

अनुच्छेद 224 = अनुच्छेद 224 अपर न्यायाधीश (Additional Judge)अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में है |

(नोट:- उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता के कारण जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो की कार्य निपटाने के लिए अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है तब राष्ट्रपति अधिकतम 2 के लिए अपर न्यायाधीश (Additional Judge)अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है ||)

अनुच्छेद 224 A = उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है |

(नोट :- उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके न्यायाधीश व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है **यह उपबंध 15 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963** द्वारा संविधान में जोड़ा गया था)

अनुच्छेद 225 = उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है |

अनुच्छेद 226 = उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है |

अनुच्छेद 227 = उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण(Superintendence) की शक्ति से संबंधित है |

अनुच्छेद 228 = उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से कुछ मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने की शक्ति से संबंधित है |

अनुच्छेद 229 = उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों सेवकों तथा प्रशासनिक व्यय से संबंधित है |

अनुच्छेद 230 = किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार और अपवर्जन से संबंधित है |

अनुच्छेद 231 = दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था से संबंधित है |

अनुच्छेद 232 = संविधान के 7वें संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को निरस्त या समाप्त कर दिया गया है |

<u>महत्वपूर्ण तथ्य</u>

- भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के उपबंधों के आधार पर कलकत्ता,बंबई और मद्रास में 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी थी |
- 1866 में चौथे उच्च न्यायालय के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई |
- अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था को अपनाया गया है लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगा |
- वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं |
- 25 उच्च न्यायालयों में से केवल 3 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है | 25 उच्च न्यायालयों में से 6 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों(केंद्र शासित प्रदेशों सहित) पर है |
- 8 केंद्र शासित क्षेत्रों में से केवल दिल्ली का अपना एक अलग उच्च न्यायालय है |

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है|
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है|
- उच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति केवल अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन कर सकता है किंतु यदि आवेदन कर्ता अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी या किसी अन्य राज्य भाषा का प्रयोग करना चाहता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान करेगा |
- भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी |
- 15 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी

संकलनकर्ता

कु. मालती

पुस्तकालयाध्यक्ष

के.वि.चमेरा नं.1

YouTube Channel :- Malti's Library Club

For more informative articles please click below provided link

https://kvchamerano1library.wordpress.com/gk-zone/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7/

Information Source: - All State High court official Government Website

भारतीय राज्यों के परिवर्तित नाम

समय-समय पर राज्यों के नामों में परिवर्तन होता रहा है | **वर्तमान में जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं यह भारत का पहला राज्य था जिसके नाम में परिवर्तन हुआ |**

- 1836 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत ,1937 से संयुक्त प्रांत तथा 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया |
- मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम 1968 द्वारा मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया जो 14 जनवरी 1969 से प्रभाव में आया |
- मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन अधिनियम) 1973 द्वारा मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया |
- लकादीव, मिनिकॉय एवं अमीनदीवी द्वीप समूह (नाम परिवर्तन अधिनियम) 1973 के द्वारा इसका नया नाम लक्षद्वीप रखा गया |
- 69 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया जो **1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ** (बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिये हुए) |
- उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के द्वारा उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड कर दिया गया जो **1 जनवरी 2007 से** प्रभावी हुआ |
- पांडिचेरी (नाम परिवर्तन अधिनियम) 2006 के द्वारा इसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया |
- उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2011 के द्वारा उड़ीसा का नाम बदलकर ओड़ीसा कर दिया गया |

प्रश्नोत्तरी

1. सबसे पहले किस राज्य के नाम में परिवर्तन किया गया ?

a. उत्तर प्रदेश b. मद्रास c. पांडुचेरी d. मैसूर

2. संयुक्त प्रांत किस राज्य का पुराना नाम था

a. उत्तर प्रदेश b. मैसूर c. उत्तराखंड d. छत्तीसगढ़

3. उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया ?

a. 24 जनवरी 1991 b. 24 जनवरी 1952 c. 24 जनवरी 1953 d. 24 जनवरी 1950

4. 1877 से 1902 के मध्य उत्तर प्रदेश का नाम क्या था ?

a. उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध b. उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत c. संयुक्त प्रांत

5. मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम कब पारित किया गया ?

a. 1968 b. 1969 c. 1970 d. 1971

6. मद्रासी राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1968 के द्वारा मद्रास का नया नाम क्या रखा गया ?

a. तमिलनाडु b. मैसूर c. कर्नाटक d. चेन्नई

7. मद्रास राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम कब से प्रभाव में आया ?

a. 14 जनवरी 1969 से b. 15 जनवरी 1969 से c.16 जनवरी 1969 से d. 17 जनवरी 1969 से

8. मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 द्वारा मैसूर का नया नाम क्या रख दिया गया ?

a. कर्नाटक b. महाराष्ट्र c. जूनागढ़ d.चेन्नई

9. लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनदीवी द्वीप समूह नाम परिवर्तन अधिनियम कब पारित किया गया ?

a. 1973 b. 1974 c. 1975 d. 1976

10. लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप एवं अमीनदीवी द्वीप समूह का नया नाम क्या रखा गया ?

a. लक्षद्वीप b. कवारत्ती c. दमन दीव

11. दिल्ली का नया नाम क्या रखा गया है ?

a. नई दिल्ली b. पुरानी दिल्ली c. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

12. 69 वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नाम परिवर्तन से संबंधित है ?

a. उत्तराखंड b. ओडिशा c. कर्नाटक d. दिल्ली

13. 69 वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया ?

a. 1991 b. 1992 c. 1993 d. 1994

14. 69 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1991 कब से प्रभाव में आया ?

a. 1 फरवरी 1992 b. 2 फरवरी 1992 c. 3 फरवरी 1992 d. 4 फरवरी 1992

15. उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम कब पारित किया गया ?

a. 2008 b. 2007 c. 2006 d. 2009

16. उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के द्वारा उत्तरांचल का नया नाम क्या किया कर दिया गया ?

a. उत्तराखंड b. उत्तराखंद c. उत्तरांचल

17. पांडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 द्वारा इसका नया नाम क्या किया गया है ?

a. पांडुचेरी b. पुंडुचेरी c. पुडुचेरी

18. उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के द्वारा उड़ीसा का नया नाम क्या कर दिया गया है ?

a. ओडीशा b. उड़िया c. ओडिशा

Answer Key

1. **a**
2. **a**
3. **d**
4. **a**
5. **a**
6. **a**
7. **a**
8. **a**
9. **a**
10. **a**
11. **c**
12. **d**
13. **a**
14. **a**
15. **c**
16. **a**
17. **c**
18. **c**

भारतीय राज्यों का सृजन :

स्वतंत्रता के समय और बाद की स्थिति

संकलनकर्ता

कु. मालती

पुस्तकालयाध्यक्ष

के.वि.चमेरा नं.1

YouTube Channel :- Malti's Library Club

For more informative articles please click below provided link

https://kvchamerano1library.wordpress.com/gk-zone/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7/

भारतीय राज्यों का सृजन : स्वतंत्रता के समय और बाद की स्थिति

15 अगस्त 1947 को एक नवनिर्मित भारत का सृजन हुआ जो माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर आधारित था |

स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत से नवनिर्मित भारत को 12 राज्य और 552 से अधिक रियासतें प्राप्त हुई, जो तीन तरह के क्षेत्रों में विभाजित थी |

1. ब्रिटिश भारत के क्षेत्र = ये लंदन के इंडिया ऑफिस तथा भारत के गवर्नर जनरल के सीधी नियंत्रण में था |

2. देसी राज्य (Princely States)

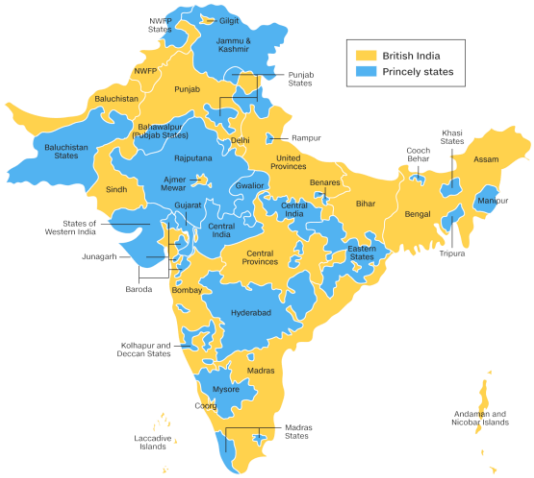

3. फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र = चन्द्रनगर,पांडिचेरी, मछलीपट्टनम, कोषिक्कोड तथा सूरत के तोज,यनम ,माहे और कराईकल जिले (फ्रांसीसी क्षेत्र), दादरा, नारोली, नगर हवेली, गोवा, दमन, दीव, अंगदीवा और इल्हा दे (पुर्तगाली क्षेत्र)|

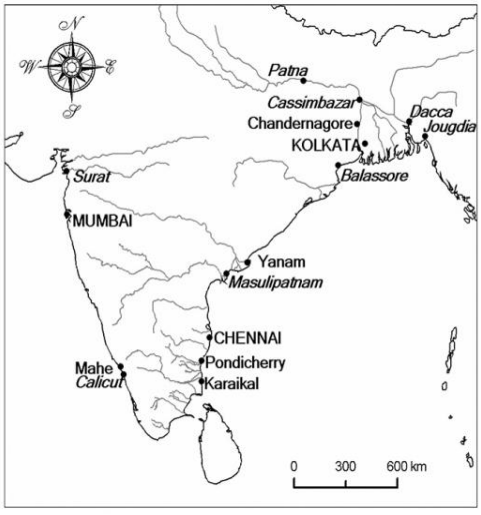

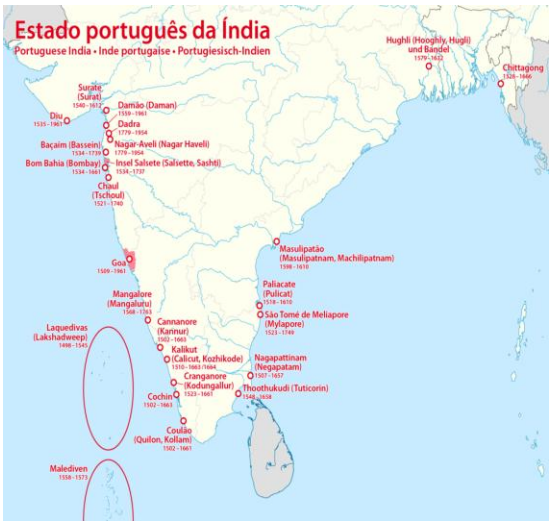

स्वतंत्रता के समय भारत में 552 रियासतें थी जिनमें से 549 स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित हो गयी जबकि जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही द्वारा (ओपरेशन पोलो) और कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने पाकिस्तानी कबायली आक्रमण से भयभीत होकर 26 अक्टूबर 1947 में भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार कर लिया |

सबसे अन्त में भारत में शामिल होने वाली रियासत भोपाल थी | नवाब हमीदुल्लाह ने 30 अप्रैल 1949 को भारत में विलीन होने के पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये और अंतत 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भी भारत का हिस्सा बन गयी |

संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की चार श्रेणियां थी क ख ग और घ |

- भाग क में भूतपूर्व ब्रिटिश भारत से प्राप्त राज्य सम्मिलित थे |
- भाग ख में विधानमंडल सहित पांच देसी रियासतों को रखा गया |
- भाग ग में पांच केंद्र शासित राज्य सम्मिलित थे |
- भाग घ में अर्जित किए गए राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया **(अर्जित राज्य क्षेत्र के रूप में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का वर्णन था)** |

1950 ई. तक संघ से संबद्ध राज्य श्रेणियों में सम्मिलित राज्यों की संख्या 29 थी जो निम्नवत थी-

- A श्रेणी में 09 राज्य **(बिहार,बंबई,असम,पश्चिम बंगाल,मध्य प्रदेश,उड़ीसा,मद्रास,पंजाब और संयुक्त प्रांत)**
- B श्रेणी में 09 राज्य **(कोचीन-त्रावणकोर, राजस्थान,हैदराबाद,मैसूर,मध्य भारत,विंध्य-प्रदेश,सौराष्ट्र,जम्मू और कश्मीर, पूर्वी पंजाब एवं पटियाला)**
- C श्रेणी में 10 राज्य **(कूच बिहार,बिलासपुर,भोपाल,अजमेर,कच्छ,दिल्ली,कुर्ग,हिमाचल प्रदेश,मणिपुर और त्रिपुरा)**
- D श्रेणी में 1 राज्य **(अंडमान व निकोबार द्वीप समूह)**

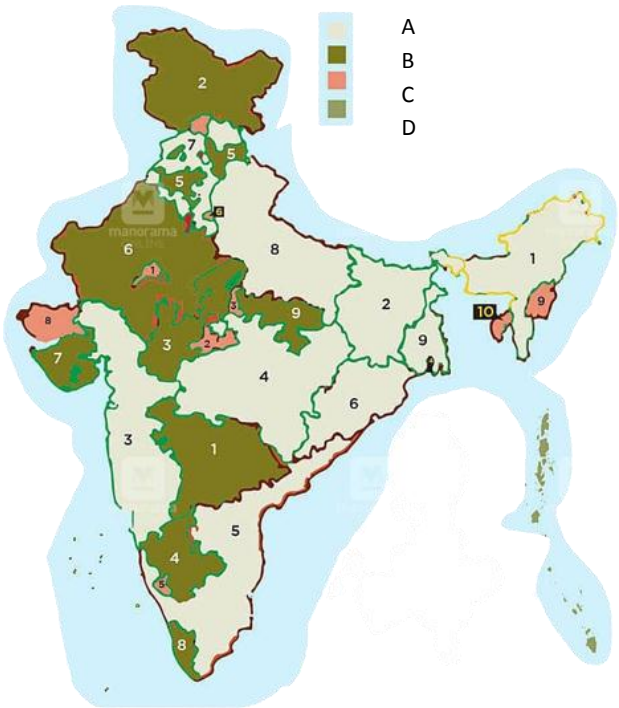

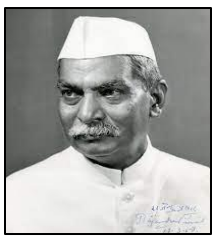

समय-समय पर भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रही है, जो तत्कालीन समय के लिए आवश्यक भी थी | इसी को मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन **राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 27 नवंबर 1947 में राज्यों के पुनर्गठन हेतु एक भाषाई आयोग का गठन किया | 10 दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की |** इस रिपोर्ट में मातृ भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया |

तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य का समर्थन करते हुए **पोट्टी श्रीरामुल्लू ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, लेकिन 56 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात् Dec. 1952 में इनकी मृत्यु हो गयी** | फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु के द्वारा **तेलुगू भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की गई |**

इसका गठन 01 अक्टूबर 1953 को किया गया | भाषायी आधार पर गठित होने वाला यह प्रथम राज्य था | गठन का आधार उनकी भाषा और संस्कृति को रखा गया |

आंध्र प्रदेश के गठन के पश्चात अन्य भाषा भाषियों के द्वारा अलग राज्य की मांग तेज हो गई, जिसके फलस्वरूप **29 दिसंबर 1953 को एक संकल्प के द्वारा भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की | यह एक तीन सदस्यीय आयोग था | इस आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली थे | आयोग के अन्य सदस्य श्री हृदयनाथ कुंजरु व श्री के.एम. पणिक्कर थे | आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को प्रस्तुत की |**

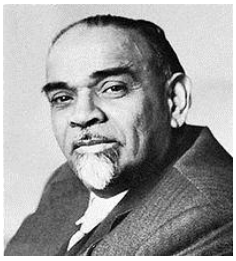

आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि -

1. राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है |
2. राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए |

आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित किया गया | इस अधिनियम के अनुसार संविधान में **7 वाँ संसंशोधन किया गया** और मूल संविधान के राज्यों की चार श्रेणी **(क,ख,ग और घ जिसमें A श्रेणी में 10 राज्य , B श्रेणी में 8 राज्य, C श्रेणी में 9 राज्य, D श्रेणी में 1 राज्य कुल 28 राज्य)** व्यवस्था को समाप्त करके दो नई श्रेणियाँ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित की गयी | **जिसके अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया |**

1956 में भारतीय राज्यों की स्थिति :-

राज्य	संघ/केंद्रशासित प्रदेश
1. आंध्रप्रदेश	15. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह
2. असम	16. दिल्ली
3. बिहार	17. लकादीव, अमीनदीवी और मिनिकॉय द्वीप समूह
4. बंबई	18.हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू-कश्मीर	19. मणिपुर
6. केरल	20. त्रिपुरा
7. मध्य-प्रदेश	
8. मद्रास	
9. मैसूर	
10. उड़ीसा	
11. पंजाब	
12. राजस्थान	
13. उत्तर प्रदेश	
14. पश्चिम बंगाल	

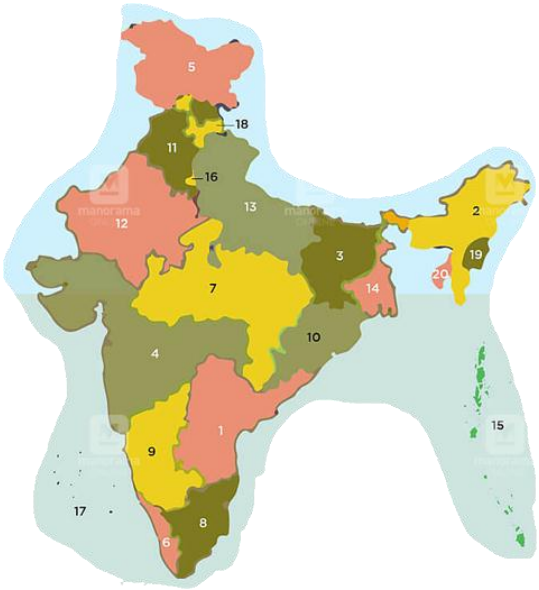

वर्ष 1950 के बाद से ही समय-समय पर विभिन्न आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन होता रहा है | **अंतिम रूप से राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 2019 में किया गया |** वर्ष 1956 के बाद से राज्यों के पुनर्गठन की स्थिति :-

केरल = 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत कोचिंग ट्रावनकोर राज्य, दक्षिण कन्नड के कसरगोड़े तथा मद्रास राज्य के मालाबार को मिलाकर केरल राज्य की स्थापना की गई |

कर्नाटक = 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा मैसूर राज्य से इस राज्य का गठन किया गया 1973 में इसे कर्नाटक का नाम दिया गया |

गुजरात तथा महाराष्ट्र = 1960 मुंबई पुनर्गठन गठन अधिनियम के द्वारा मुंबई राज्य को दो भागों में बांट दिया गया मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र तथा गुजरात भाषियों के लिए गुजरात राज्य का पुनर्गठन किया गया | इस प्रकार गुजरात **भारत का 15 वां राज्य बना |**

नागालैंड = नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया | 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य की स्थापना की गई | **यह भारत का 16 वां राज्य बना |**

हरियाणा = पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब राज्य से कुछ क्षेत्रों को निकालकर हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया | **हरियाणा देश का 17 वां राज्य बना |**

हिमाचल प्रदेश = 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर केंद्रशासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, किन्तु 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया **यह देश का 18 वां राज्य बना |**

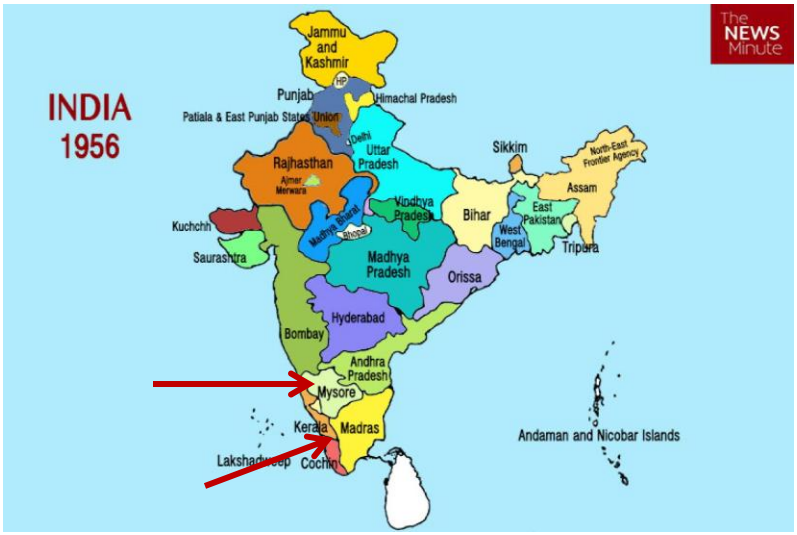

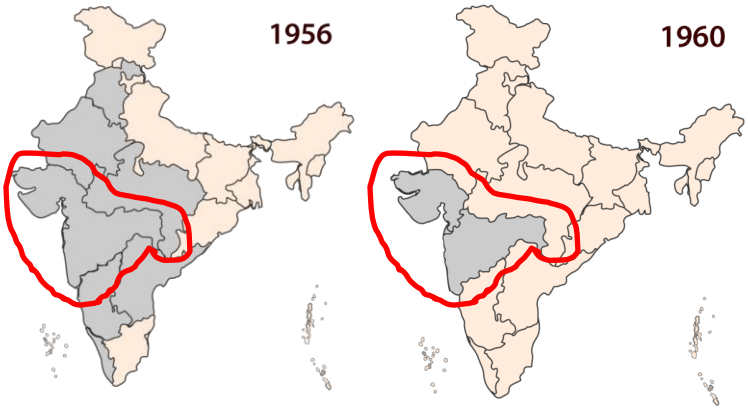

मणिपुर व त्रिपुरा = 1971 पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम द्वारा मणिपुर एवं त्रिपुरा संघ शासित क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया | **मणिपुर देश का 19 वां और त्रिपुरा देश का 20 वां राज्य बना |**

मेघालय = 22 वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा इसे असम के अंतर्गत एक उप राज्य बनाया गया, **लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य** का दर्जा दे दिया गया | **यह भारत का 21 वां राज्य बना |**

सिक्किम= 35वां संविधान संशोधन अधिनियम(1974) के द्वारा सिक्किम को संबंध राज्य का दर्जा दिया गया इस समय तक सिक्किम चोग्याल शासन के अंतर्गत था लेकिन 1975 में जनमत संग्रह के अंतर्गत चोग्याल शासन को समाप्त कर दिया गया और **36 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य** का दर्जा प्रदान किया गया | **यह देश का 22 वां राज्य बना |**

मिजोरम = 1986 मिजोरम राज्य अधिनियम (53वां संविधान संशोधन अधिनियम) द्वारा संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया | **यह व्यवस्था 20 फरवरी 1987 से लागू हुई इस प्रकार मिजोरम भारत का 23 वां राज्य बना |**

अरुणाचल प्रदेश = 1972 में अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश बना | 1986 के अरुणाचल प्रदेश अधिनियम (55वां संविधान संशोधन) द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया | **यह भारत का 24 वां राज्य बना जो 20 फरवरी 1987 से प्रभाव में आया |**

गोवा = गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अंतर्गत संघ शासित राज्यों गोवा, दमन और दीव में से गोवा को अलग कर एक राज्य बनाया गया | **यह भारत का 25 वां राज्य बना |**

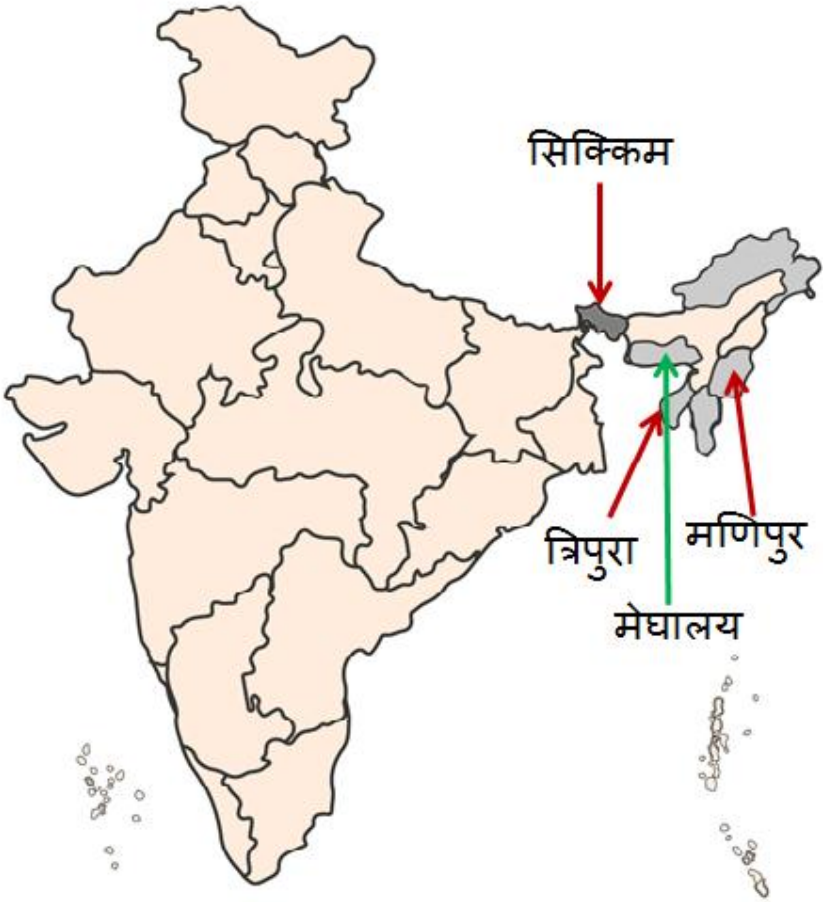

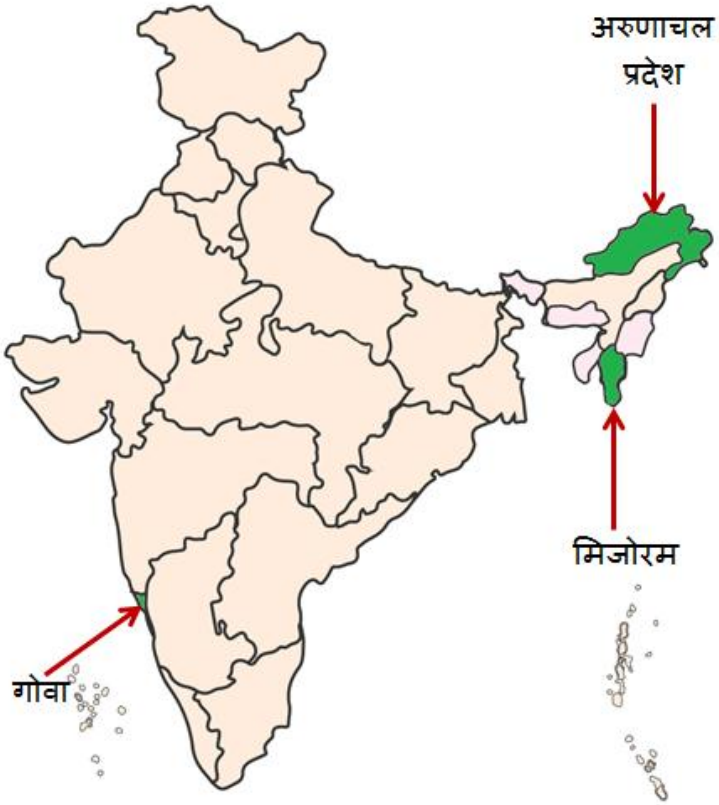

छत्तीसगढ़ = **वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश में से 16 जिलों को निकालकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़** राज्य का गठन किया गया | यह **भारत का 26 वां राज्य बना |**

उत्तराखंड = **9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को निकालकर उत्तरांचल नामक नए राज्य** का गठन किया गया| **उत्तरांचल अधिनियम (नाम परिवर्तन) 2006 के द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया**| भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार **यह 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ | यह भारत का 27 वां राज्य बना |**

झारखंड = **15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिलों को अलग करके एक नए राज्य झारखंड** का निर्माण किया गया | **यह भारत का 28 वां राज्य बना |**

तेलंगाना = 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को अलग कर देश के **29 वें राज्य तेलंगाना** का गठन किया गया |

जम्मू व कश्मीर = जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू व कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर जम्मू- कश्मीर एवं लद्दाख नामक दो नयें संघशासित प्रदेशों का गठन किया गया

(नोट :- भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन का प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया गया | इस प्रस्ताव को 5 अगस्त को राज्यसभा और 6 अगस्त को लोकसभा में रखा गया | 9 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति दे दी गई | इसी के साथ जम्मू कश्मीर को प्रदत्त विशेष राज्य का दर्जा धारा 370 और 35 A समाप्त हो गया | Article 35A को 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था |

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को 5 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित किया गया | इस तरह से जम्मू - कश्मीर भारत का 8 वां और लद्दाख भारत का 9 वां केंद्र शासित प्रदेश बना | जम्मू व कश्मीर में मीरपुर और मुजफ्फराबाद सहित कुल 22 जिले हैं और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह 2 जिले शामिल हैं|

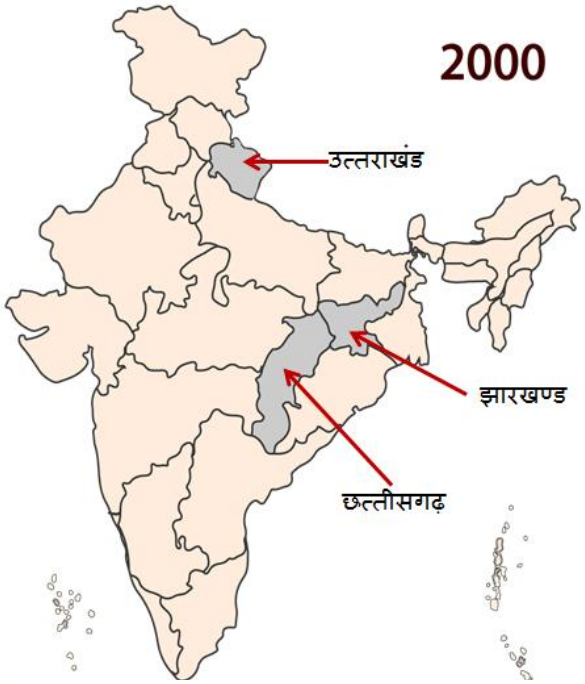

देश के पहले गृहमंत्री **सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती (31 अक्टूबर 2019) के मौके पर दोनों नव सृजित केंद्रशासित प्रदेशो का नया नक्शा भी जारी किया गया |)**

दादरा नगर हवेली एवं दमन - दीव = यहां पर पुर्तगाल का शासन था 10 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था| दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव विलयन विधेयक 2019 जिसे 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया और 26 जनवरी 2020 से यह विलय अस्तित्व में आ गया |

(नोट :- दादरा नगर हवेली और दमन दीव पुनर्गठन विधेयक को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया | इस विधेयक को 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हो गया और 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलने के बाद इसका विलय हो गया | यह विलय 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ | दादरा नगर हवेली का एक व दमन व दीव के 2 जिलें मिलाकर नए क्षेत्र में 3 जिलें होंगे व विधिक मामले बम्बई उच्च न्यायालय के दायरें में आयेंगे |)

भारत में इन केंद्र शासित प्रदेशों का शासन संचालन भारतीय संविधान के **भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा **अनुच्छेद 239 (1)** के द्वारा किया जाता है |

भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन **संविधान के भाग 1 और 8, अनुच्छेद 1 से 4 और अनुच्छेद 239 से 241 तथा अनुसूची 1** में विस्तृत ढंग से किया गया है | संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी गतिविधियों का संचालन इसी के अंतर्गत किया जाता है |

<u>26 जनवरी 2020 के बाद से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश होंगे |</u>

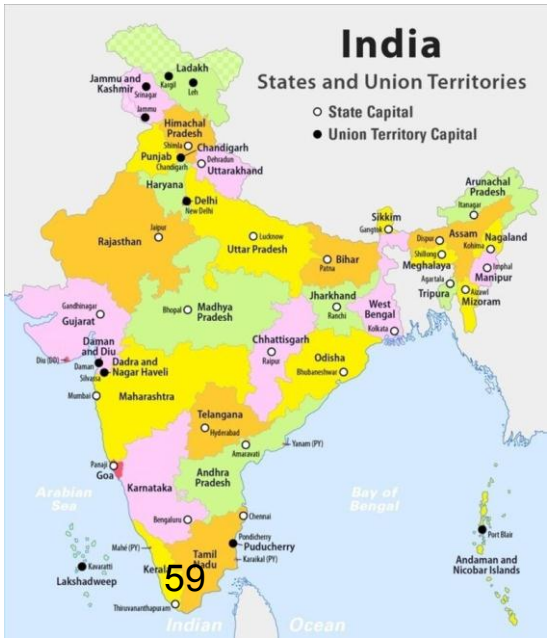

भारतीय राज्यों का सृजन : स्वतंत्रता से पहले और बाद की स्थिति

प्रश्नोत्तरी

1. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना पर आधारित था ?

   माउंटबेटन योजना

2. स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत से नवनिर्मित भारत को कितने प्रांत और कितनी देशी रियासतें प्राप्त हुई थी |

   12 प्रांत और 562 रियासतें

3. नवनिर्मित भारत को प्राप्त प्रांत और देशी रियासतें कितने तरह के क्षेत्रों में विभाजित थे |

   तीन तरह के क्षेत्रों में विभाजित

4. यह तीन तरह के क्षेत्र कौन-कौन से थे ?

   ब्रिटिश भारत के क्षेत्र , देसी राज्य और फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र

5. ब्रिटिश भारत के क्षेत्र किस के नियंत्रण में थे |

   लंदन के इंडिया ऑफिस तथा भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में

6. चंद्रनगर, पांडिचेरी, मछलीपट्टनम, कोझीकोड ,किसके औपनिवेशिक क्षेत्र थे ?

   फ्रांसीसी क्षेत्र के

7. सूरत के यनम, माहे और कराईकल क्षेत्र किसके अधीन थे ?

   फ्रांसीसी क्षेत्र के अधीन

8. दादरा, नारोली, नगर हवेली, गोवा, दमन, दीव आदि भारतीय क्षेत्र किसके अधीन थे ?

   पुर्तगाली क्षेत्र के अधीन

9. स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी इनमें से कितनी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया |

   562 रियासतों थी , 549 ने स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया |

10. कौन- कौन सी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था |

    जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासतों ने |

11. जनमत संग्रह द्वारा किस रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया |

    जूनागढ़ रियासत

12. कौन सी रियासत को सशस्त्र कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया |

हैदराबाद रियासत को

13. हैदराबाद रियासत को सशस्त्र कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था कार्यवाही को कौन सा नाम दिया गया था ?

ऑपरेशन पोलो

14. पाकिस्तानी कबायली आक्रमण से भयभीत होकर कौन सी रियासत ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया |

कश्मीर रियासत ने |

15. कश्मीर रियासत के महाराजा कौन थे ?

महाराजा हरि सिंह

16. महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर विलय के पत्र पर कब हस्ताक्षर किए ?

26 अक्टूबर 1947 में

17. सबसे अंत में भारत में शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी?

भोपाल रियासत

18. भोपाल रियासत के राजा कौन थे ?

नवाब हमीदुल्लाह

19. भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के भारत में विलीन होने के प्रपत्र पर कब हस्ताक्षर किए ?

30 अप्रैल 1949 को

20. अंतत: भोपाल रियासत कब भारतीय संघ का हिस्सा बन गया ?

1 जून 1949 को

21. अंगदीवा और इल्हादे किसके औपनिवेशिक क्षेत्र के अंतर्गत थे ?

पुर्तगाली औपनिवेशिक क्षेत्र

22. संविधान लागू होने के समय भारतीय संघ से संबद्ध राज्यों की कितनी श्रेणियां थी ?

4 श्रेणियां थी

23. संविधान लागू होने के समय भारतीय संघ से संबंधित राज्यों की कौन-कौन सी श्रेणियां थी?

भाग का, भाग ख, भाग ग और भाग घ |

24. भाग क में कौन से भारतीय क्षेत्र सम्मिलित थे ?

भागों क में भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित थे |

25. भागों ख में कौन-कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे |

विधानमंडल सहित पांच देशी रियासतें सम्मिलित थी |

26. भाग ग में कौन-कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे ?

भाग ग में 5 केंद्र शासित राज्य सम्मिलित थे |

27. भाग घ में किसे रखा गया था ?

भाग घ में अर्जित किए गए राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया था |

28. अर्जित राज्य क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र था ?

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अर्जित राज्य क्षेत्र के रूप में था |

29. 1950 ईस्वी तक भाग क, ख, ग और घ में राज्यों की कुल संख्या कितनी थी ?

29

30. 1950 ईस्वी तक भाग क या A में कुल कितने राज्य थे ?

9 राज्य

31. 1950 ईस्वी तक भाग ख या B श्रेणी में कितने राज्य थे ?

9 राज्य

32. 1950 ईस्वी तक भाग ग या C में कितने राज्य थे ?

10 राज्य

33. 1950 ईस्वी तक भाग घ या D श्रेणी में कितने राज्य थे ?

एक राज्य

34. राज्यों के पुनर्गठन हेतु एक भाषाई आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया ?

तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा

35. राज्यों के पुनर्गठन हेतु गठित भाषाई आयोग का अध्यक्ष कौन था ?

न्यायमूर्ति एस के धर

36. भाषाई आयोग का गठन कब किया गया था ?

27 नवंबर 1947 में |

37. राज्यों के पुनर्गठन हेतु गठित भाषाई आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की ?

10 दिसंबर 1948 में

38. इस आयोग ने किस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था ?

मातृ भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का |

39. तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य का समर्थन करते हुए किसने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था |

पोट्टी श्रीरामल्लू ने |

40. आमरण अनशन के कितने दिनों के पश्चात पोट्टी श्रीरामल्लू की मृत्यु हो गई थी ?

56 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात |

41. पोट्टी श्रीरामल्लू की मृत्यु कब हुई थी ?

दिसंबर 1952 में |

42. तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्रप्रदेश के गठन की घोषणा किसने की थी ?

तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने |

43. आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था ?

1 अक्टूबर 1953 को |

44. भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था ?

भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य **आंध्रप्रदेश** था |

45. राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई ?

29 दिसंबर 1953 को |

46. राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे |

सैयद फजल अली |

47. राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने सदस्य थे ?

3 सदस्य थे |

48. आयोग के अन्य 2 सदस्यों के नाम क्या थे ?

श्री हृदय नाथ कुंजरू और श्री के. एम. पणिक्कर थे |

49. राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की ?

30 दिसंबर 1955 को

50. राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किस आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया था ?

राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा ,वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के आधार पर

51. राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया ?

जुलाई 1956 में |

52. आयोग की सिफारिशों को मूर्त रूप देने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया ?

सातवां संशोधन किया गया |

53. कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल संविधान के चार राज्य श्रेणी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया ?

7 वां संविधान संशोधन |

54. 7 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्यों की कितनी श्रेणियों की व्यवस्था की गई ?

दो श्रेणियों = राज्य तथा केंद्रशासित राज्य |

55. सातवें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संघ में कितने प्रदेशों का गठन किया गया ?

14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का |

56. 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब से प्रभाव में आया ?

1 नवंबर 1956 से |

57. अंतिम रूप से राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ ?

2019 में

58. जम्मू व कश्मीर राज्यों को विभाजित कर कितने केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई ?

दो

59. जम्मू और कश्मीर को किन दो भागों में विभाजित किया गया ?

जम्मू - कश्मीर और लद्दाख

60. 2019 में किन दो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण किया गया ?

दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव का |

61. किसके द्वारा कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 में संशोधन का प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया गया ?

भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा |

62. अनुच्छेद 370 के साथ ही जम्मू कश्मीर से और किस आर्टिकल को समाप्त किया गया ?

आर्टिकल 35 A को |

63. आर्टिकल 35A किसके द्वारा संविधान में अंतर्निहित किया गया था ?

तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के द्वारा |

64. आर्टिकल 35A को संविधान में कब अंतर्निहित किया गया था ?

1954 में |

65. जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 को कब राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ?

9 अगस्त को |

66. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राज्यसभा के द्वारा कब पारित किया गया ?

5 अगस्त को |

67. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लोक सभा द्वारा कब पारित किया गया ?

6 अगस्त को

68. जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 बिल को कब प्रकाशित किया गया ?

5 अक्टूबर 2019 को |

69. जम्मू - कश्मीर कौन से नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बना |

आठवां

70. लद्दाख भारत का कौन से नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बना ?

9 वां

71. जम्मू कश्मीर में मीरपुर और मुजफ्फराबाद सहित कुल कितने जिले हैं ?

22

72. लद्दाख में कुल कितने जिले हैं ?

दो

73. लद्दाख में कौन-कौन से जिले हैं ?

कारगिल और लेह

74. जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों क नया नक्शा कब जारी किया गया |

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2019 के मौके पर |

75. दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव पुनर्गठन विधेयक को किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था |

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा |

76. दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया ?

26 नवंबर 2019 को |

77. दादरा नगर हवेली और दमन दीव पुनर्गठन विधेयक को राज्य सभा द्वारा कब पारित किया गया ?

3 दिसंबर 2019 को

78. दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन कब प्राप्त हुआ ?

9 दिसंबर 2019 को

79. दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव पुनर्गठन कब से लागू हुआ ?

26 जनवरी 2020 से

80. नवसृजित दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव में कुल कितने जिले हैं ?

3 जिले हैं |

81. नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव के विधिक मामले किस उच्च न्यायालय के दायरे में आएंगे ?

मुंबई उच्च न्यायालय के |

82. 26 जनवरी 2020 के बाद से भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे ?

28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश |

83. भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है ?

भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा |

84. भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है ?

अनुच्छेद 239 1 के अंतर्गत |

85. भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन संचालन भारतीय संविधान के किस भाग और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ?

भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 241 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार |

86. भारतीय राज्य क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन संविधान के किस भाग में, कौन से अनुच्छेद और किस अनुसूची के अंतर्गत है ?

भाग 1 और 8 , अनुच्छेद 1 से 4 और 239 से 241 , और अनुसूची 1 में |

87. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई को दो भागों में बांट कर किस अलग राज्य का गठन किया गया था

गुजरात का |

88. गुजरात भारत का कौन से नंबर का राज्य बना ?

15वें नंबर का

89. केरल राज्य की स्थापना किस के अंतर्गत की गई ?

1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत |

90. केरल राज्य की स्थापना किन -किन क्षेत्रों को मिलाकर की गई |

कोचीन -त्रावणकोर राज्य, दक्षिण कन्नड का कसरगोड़े तथा मद्रास राज्य के मालाबार क्षेत्र को मिलाकर |

91. कर्नाटक राज्य की स्थापना किसके अंतर्गत की गई ?

1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा |

92. कर्नाटक की स्थापना किस राज्य से की गई ?

मैसूर राज्य से |

93. कर्नाटक को कर्नाटक नाम कब दिया गया ?

1973 में |

94. नागालैंड राज्य की स्थापना किस के अंतर्गत की गई ?

नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा |

95. नागालैंड राज्य की स्थापना किन -किन क्षेत्रों को मिलाकर की गई ?

नागा पहाड़ियों और असम के त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर |

96. नागालैंड भारत का कौन से नंबर का राज्य बना

16 वें नंबर का राज्य |

97. नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य कब अस्तित्व में आया

1963 में |

98. हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का गठन किसके अंतर्गत हुआ ?

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा |

99. हरियाणा भारत के कौन से नंबर का राज्य बना ?

17 वें नंबर का राज्य बना |

100. किस आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया ?

शाह आयोग की सिफारिश पर |

101. हिमाचल प्रदेश को कब केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया ?

1966 में

102. हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ ?

1971 में

103. हिमाचल प्रदेश भारत के कौन से नंबर का राज्य बना ?

18 वें नंबर का राज्य बना |

104.किस अधिनियम द्वारा मणिपुर एवं त्रिपुरा संघ शासित क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया ?

पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा |

105. मणिपुर देश का कौन से नंबर का राज्य बना

19 वां

106.त्रिपुरा देश का कौन से नंबर का राज्य बना |

20वें नंबर का राज्य बना |

107.मेघालय को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा और कब असम के अंतर्गत एक उपराज्य बनाया गया ?

22 वां संविधान संशोधन , 1969 के द्वारा |

108.मेघालय को किस अधिनियम के अंतर्गत और कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ?

पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के द्वारा |

109. मेघालय एक पूर्ण राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया ?

21 जनवरी 1972 को

110. मेघालय भारत के कौन से नंबर का राज्य बना ?

21 वां

111.सिक्किम को कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत और कब संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया ?

35 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1974

112.सिक्किम में किस राज्य का शासन था ?

चोग्याल राजवंश का शासन था |

113.कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत और कब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ ?

36 संविधान संशोधन अधिनियम , 1975 के द्वारा |

114.सिक्किम देश का कौन से नंबर का राज्य बना ?

22 वां

115.कौन से संविधान संशोधन और अधिनियम के द्वारा संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ?

53 वां संविधान संशोधन और मिजोरम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1986 के अंतर्गत |

116.मिजोरम पूर्ण राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया

20 फरवरी 1987 से

117.मिजोरम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना ?

23 वां राज्य बना

118.अरुणाचल प्रदेश कब संघ शासित प्रदेश बना ?

1972 में

119. कौन से संविधान संशोधन और अधिनियम के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया?

55 वां संविधान संशोधन और अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 के द्वारा |

120. अरुणाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया ?

20 फरवरी 1987 से

121. अरुणाचल प्रदेश देश का कौन से नंबर का राज्य बना ?

24वें नंबर का

122. गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अंतर्गत संघ शासित राज्यों गोवा, दमन और दीव में से किस को अलग कर एक नए राज्य की स्थापना की गई ?

गोवा

123. गोवा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना ?

25 वां

124. मध्य प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई ?

16 जिलों को

125. छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई ?

1 नवंबर 2000 को

126. छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य बना ?

26 वें

127. उत्तर प्रदेश से कितने जिलों को निकालकर उत्तरांचल की स्थापना की गई ?

13 जिलों को निकालकर |

128. उत्तरांचल राज्य कब अस्तित्व में आया ?

9 नवंबर 2000 को

129. उत्तरांचल भारत का कौन से नंबर का राज्य बना ?

27 वां

130. उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया ?

उत्तराखंड

131. उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कब कर दिया गया ?

2006 के उत्तरांचल अधिनियम के द्वारा

132. उत्तरांचल का परिवर्तित नाम उत्तराखंड कब से अस्तित्व में आया ?

एक जनवरी 2007 से

133. बिहार के कितने जिलों को निकालकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी ?

18 जिलों को

134. झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई ?

15 नवंबर 2000 को

135. झारखंड भारत के कौन से नंबर का राज्य बना ?

28 वां

136. आंध्र प्रदेश के कितने जिलों को निकालकर तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई ?

10 जिलों को

137. तेलंगाना राज्य की स्थापना कब की गई ?

2 जून 2014 को

138. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत तेलंगाना भारत के कौन से नंबर का राज्य बना

29 वां

139. कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दादरा नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था ?

10 वां संविधान संशोधन

140. दादरा नगर हवेली को कौन से अधिनियम के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया था ?

अधिनियम 1961 द्वारा

141. स्वतंत्रता के पूर्व दादरा नगर हवेली पर किसका शासन था ?

पुर्तगाल का

142. भारतीय संघ क्षेत्र में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे यह व्यवस्था कब से अस्तित्व में आई ?

26 जनवरी 2020 से

143. दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव विलय विधेयक 2019 को लोकसभा में कब पारित किया गया ?

27 नवंबर 2019 को

144. दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव विलय विधेयक 2019 को राज्यसभा में कब पारित किया गया ?

3 दिसंबर 2019 को

145. दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव विलय विधेयक कब से अस्तित्व में आया ?

26 जनवरी 2020 से